राजस्थान विधान सभा

३० वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–२८ मई, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ७ बज कर २२ मिनट
(मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ९५४

श्री अध्यक्ष—श्री सरदारसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ९५५

राजस्थान में जिलों का पुनः निर्माण

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान में जिलों के पुनः निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हाँ।

श्री चान्दमल मेहता—यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है।

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी समय से यह विचाराधीन है। मैं समझता हूँ कि इस पर काफी प्रकाश, वक्तव्य द्वारा, चीफ मिनिस्टर डाल चुके हैं।

श्री चाँदमल मेहता—कब तक और सरकार के यह विचाराधीन रहेगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिह्—इस कार्य को कब तक पूरा करने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष—जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होगा। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५६

राजस्थान में अधिकारियों को दिया जाने वाला सवारी भत्ता

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सवारी अलाउन्स कितने अफसरों को दिया जाता है ?

(ख) यह अलाउन्स कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं, किस-किस श्रेणी वालों को क्या-क्या अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(क) राजस्थान में इस समय ४० गजटेड अफसरों को सवारी अलाउन्स दिया जा रहा है। यह अलाउन्स ये लोग १–४–५० से पहले से पाते आ रहे हैं।

(ख) सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होने पर पेश कर दी जावेगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिह्—क्या गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को भी सवारी अलाउन्स देती है जिसको देने के लिए स्थानीय डिपार्टमेण्ट्स का कोई आर्डर नहीं है और जिसके अनुसार उसको ऐसे अलाउन्स दिये जा सकते ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अलाउन्स के सारे मामले पर विचार किया जा रहा है, मगर जो लोग पहले से एलाउन्स पा रहे थे और उनको एश्योरेन्स दिया गया था इसलिए दिया जा रहा है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—एश्योरेन्स तो उनकी तनख्वाह के लिए दिया गया था, या अलाउन्स के लिए भी दिया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कुँ० श्री जवन्तसिंह्—राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--मैंने अर्ज किया कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

कु० श्री जसवन्तसिंह--राजस्थान को बने कितना साल हुआ ?

(आवाज "५ साल")

पाँच साल तक इतनी छोटी सी बात पर अभी तक सरकार निर्णय नहीं कर पाई, जहाँ रुपयों का प्रश्न है। जब बजट पर प्रश्न आता है, तो हर बार यह कहा जाता है कि धन का अभाव है। जब बचत हो सकती है, तो फिर बचत क्यों नहीं की जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--इसलिए कि यह छोटी बात है, पहले बड़ी-बड़ी बातों पर ध्यान दिया गया है।

श्री चाँदमल मेहता--इन छोटी बातों को खत्म करने में और कितना समय लगेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल--अब थोड़ा सा समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५७

एक्सरे डाक्टरों को भत्ता

श्री चाँदमल मेहता--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या एक्सरे करने वाले डाक्टरों को कोई अलाउन्स दिया जाता है ?

(२) यदि हाँ, तो कितना ?

(३) ऐसे कितने डाक्टर हैं जिन्हें भूतपूर्व राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार के अलाउन्स दिये जाते थे और मौजूदा सरकार ने बन्द कर दिया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)--(१) जी हाँ।

(२) उन डाक्टरों के लिए जिन्होंने नई पे स्केल में रहना स्वीकार किया है निम्न प्रकार से अलाउन्स स्वीकृत है :—

१. सी. ए. एस. श्रेणी २ यदि रेडियोलोजी में डिप्लोमा हो, ५० रु० प्रति माह।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

२. सी. ए. एस. श्रेणी १ यदि एक्सरे में पोस्ट ग्रेजुऐट डिग्री के साथ एम. बी. बी. एस. हो तो ७५ रु० प्रति माह। यदि केवल लायसेन्शियेट हो तो ५० रु० प्रति माह। सी. ए. एस. श्रेणी २ में जिन्होंने नई पे स्केल चुन ली है उन्हें यह अलाउन्स मिल रहा है। सी. ए. एस. श्रेणी १ में केवल ३ पोस्टों के लिए यह अलाउन्स स्वीकृत है। अभी यह अलाउन्स नहीं दिया गया है क्योंकि यह निर्णय नहीं किया गया कि किन-किन अस्पतालों में यह पोस्ट रखी जाँय।

३. केवल २।

श्री चाँदमल मेहता--क्या सरकार इन दो डाक्टरों के अलाउन्स बन्द करने का कारण भी बतलावेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य--वे एक काम के दो अलाउन्स ले रहे थे इसलिए बन्द कर दिया गया।

श्री चाँदमल मेहता--किशनगढ़ के डॉक्टर रघुवीरसिंह हैं, उनका अलाउन्स क्यों बन्द किया गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य—उनको पहले भी नहीं मिलता था।

श्री चाँदमल मेहता—पहले तो उनको मिलता था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं मिलता था।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उनको दो अलाउन्स कौन-कौन से कामों के मिलते थे, क्या माननीय मन्त्री बताने की महरबानी करेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह प्रश्न विषय से दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५८

यज्ञनारायण औषधालय (किशनगढ़) के इन्डोर वार्ड में जालियों की आलमारी का प्रबन्ध

श्री चाँदमल मेहता--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में इन्डोर पेशेन्ट्स (Indoor Patients) के लिए जालियों की आलमारियों की व्यवस्था नहीं है, जिनमें मरीजों के लिए फल आदि रखे जा सकें ?

(२) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(१) जी हाँ।

(२) आलमारियाँ खरीद ली गई हैं और मेज भी दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६५६

डिप्टी डाईरेक्टर आॅफ माइन्स के स्थान पर नियुक्ति

श्री चाँदमल मेहता—क्या खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिप्टी डाईरेक्टर आफ माइन्स के स्थान पर किसको कब मुकर्रर किया गया है।

(ख) उनकी योग्यतायें क्या हैं और उनको क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) श्री जे. पी. अरोड़ा को।

(ख) यह बी. एस-सी., एल-एल. बी., हैं और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। इनको मासिक वेतन के ५५०) रु० व १००) रु० विशेष वेतन के मिलते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इनकी कोई टेक्नीकल क्वालीफिकेशन भी है ?

श्री चन्दनमल वैद—एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है।

श्री चाँदमल मेहता—किन खास पोस्टों पर टेक्नीकल क्वालीफिकेशन वाले रखे जाते हैं ? क्या माइनिंग डिपार्टमेंट में टेक्नीकल क्वालीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी हाँ, है। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट में टेक्नीशियनों की कमी के कारण इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्ति को रखा गया है।

श्री चाँदमल मेहता—इस जगह जो टेक्नीकल आदमी थे उनको कहीं भेजा गया ?

श्री चन्दनमल वैद —इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० १६०

बीकानेर में एक काच का कारखाना बन्द होने सम्बन्धी

श्री प्रभूदयाल—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर में एक कांच (ग्लास फैक्ट्री) का कारखाना काफी अरसे से बन्द पड़ा है ?

(ख) क्या सरकार बीकानेर में बेकारों की हालत देखते हुये इसको चालू करने का विचार कर रही है ?

(ग) अगर हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) जी हाँ ।

(ख) यह फैक्ट्री हिस्सेदारों में झगड़ा होने के कारण कोर्ट द्वारा कुर्क कर ली गई है । इसे छुड़ाने व पुनः चालू करने के लिए सरकार काफी समय से प्रयत्नशील है और इस विषय में इसके हिस्सेदार श्री बद्रीदास डागा से बातचीत चल रही है । इनसे कुछ ज्ञातव्यता माँगी गई है जो इन्होंने अभी तक नहीं भेजी है, क्योंकि इसमें कई कानूनी झगड़े हैं इसलिए सब पहलुओं पर पूरी तरह से विचार करना आवश्यक है ।

(ग) निकट भविष्य में शीघ्र पुनः फैक्ट्री को प्रारम्भ करने का पूर्ण प्रयत्न किया जावेगा। अवधि के लिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री प्रभूदयाल—क्या इस कारखाने को और कोई खोलने का विचार कर रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—जिन व्यक्ति के सिलसिले में आपने पूछा उसके लिये जानकारी दे दी गई है ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार आर्थिक सहायता देकर इस झगड़े को निपटायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—हिस्सेदारों में आपसी कानूनी झगड़ा है और कोर्ट ने अटेचमेंट कर रखा है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार ने इसको नेशनेलाइज़ करने का विचार किया है ?

श्री चन्दनमल वैद—अभी ऐसा विचार नहीं किया गया है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या जोधपुर में भी ऐसा कोई कारखाना बन्द नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—बीकानेर की जानकारी दे रहा हूँ। जोधपुर के लिए आप नोटिस दीजिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री अवनिकुमार।

प्रश्न संख्या १६१

पब्लिक हेल्थ के डाइरेक्टर के कार्यकाल की समाप्ति पर मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के सचिव द्वारा कार्य करना।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the Minister incharge of Medical & Public Health state:—

(1) Whether it is a fact that on the expiry of the term of the outgoing Director of Public Health and Medical Services the Secretary in charge of Medical and Publie Health Departments was authorised to carry on as Director of Pudlic Health & Medical Services ?

(2) Whether it is a fact that the concerned Secretary has to look after other departments like Local Self Government in addition to the Departments of Medical and Public Health?

(3) Whether it is possible for him under the existing circumstances to carry on efficiently as Director of Medical & Public Health Services?

(4) Is it not the usual practice that when the term of an officer expires or he goes on a long leave, his Deputy is authorised to offieiate on his behalf ? If so, why an exception was made in this particular case?

(5) What are the qualifications of the present Senior Deputy Director of Medical & Public Health Services?

(6) If his qualifications are adequate, why has he been deprived of his legitimate right?

(7) Is the Government prepared to reconsider the whole question and set the things right?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—१. जी हां।

२. जी हां।

३. यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि वे डी. एम. एच. एस. की रूटिन ड्युटीज़ ही कर रहे थे।

४. यहां दो डिप्टी थे। इनकी सिनियोरिटी निश्चित न होने के कारण यह उचित नहीं समझा गया कि उनमें से किसी को आफीशियेटिंग का अवसर दिया जाए।

५. कोई सीनियर डिप्टी डी. एम. एच. एस. नहीं है क्योंकि सीनियोरिटी निश्चित नहीं हुई। दोनों डिप्टियों की योग्यता निम्न प्रकार है:

(अ) डा. एच. एल. चोपडा—एम. बी. बी. एस. डी. टी. एच. एम. (इंगलेन्ड)
एम. आर. सी. पी. (आयरलेन्ड)
डी. पी. एच. (लन्दन).

(ब) डा० एन० ए० कावसजी, एम० बी० बी० एस।

(६) इसमें न्याययुक्त अधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(७) स्थायी डी० एम० एच० की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री कुं० जसवन्तसिंह—क्या सरकार इतनी अयोग्य है कि दो अफसरों की सिनियोरिटी इतने अर्से तक तय नहीं कर सकी?

श्री कुंभाराम आर्य—इसमें योग्यता और अयोग्यता का सवाल नहीं है।

श्री अवनि कुमार मकर्जी—क्या डॉक्टर शर्मा को डाइरेक्टर, मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज नियुक्त किया गया है।

श्री कुंभाराम—जी, हां।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं?

श्री कुम्भाराम—इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इस प्रश्न से क्यों सम्बन्ध नहीं है; मैं जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है?

श्री कुंभाराम आर्य—आधार उनकी योग्यता का हो सकता है।

श्री अवनिकुमार—मैं यह जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर शर्मा की क्या क्वालीफिकेशन्स है?

(विराम)

मेरे सवाल का जवाब माननीय अध्यक्ष, मुझे नहीं मिल रहा है।

Page No.9

श्री कुम्भाराम आर्य—इस प्रश्न की इसमें मांग नहीं की गई ।

श्री अवनिकुमार—माननीय अध्यक्ष, यह तो सप्लीमेन्टरी है। इसका उत्तर तो हम मांग सकते हैं ।

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके लिए नोटिस चाहिये ।

(हंसी)

श्री अवनिकमार मुकर्जी—Mr. Speaker, this is very relevant question.

श्री अध्यक्ष—But the Hon'ble Member should sit down when one is alreaby on his legs.

श्री टीकाराम पालीवाल—There was a number of staff and the qualifications of them were equal.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैंने यह जानना चाहा कि जब तक सीनियोरिटी तय नहीं की गई तो किस आधार पर डा० शर्मा की नियुक्ति की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सीनियोरिटी और क्वालिफिकेशन्स दोनों अलग-अलग चीजें है।

श्री अवनीकुमार—मैंने यह जानना चाहा कि किस आधार पर डा० शर्मा की नियुक्ति की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सीनियोरिटी तय नहीं हुई है और दो डिप्टीज़ हैं इसलिए जब तक कि सिनियोरिटी तय नहीं हो जाय तब तक उनको यह चार्ज नहीं दिया जाना सरकार ने उचित समझा। डा० शर्मा की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर ही की गई है । He is certainly senior to both of the deputies.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या डॉक्टर मेनन उनके मातहत नहीं हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—डा० मेनन का प्रश्न नहीं है। उनको मेडीकल कॉलेज में रखा गया है ।

श्री अवनिकुमार—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेडीकल का पोर्टफोलियो आपके पास आ गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूँ ।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

मैं जानना चाहता हूँ कि जब यू. पी. मेडीकल बोर्ड से मांग निकली थी तो राजस्थान सरकार की ओर से किन-किन डॉक्टर्स के नाम प्रस्तावित किये गये थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य— यह अलग सवाल है।

श्री **अध्यक्ष**—Two Hon'ble Members can't stand at a time.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही नहीं है कि यू० पी० गवर्नमेंट की ओर से जो मांग निकली थी तो राजस्थान सरकार की ओर से डॉ० कासलीवाल और डॉ० चौरड़ा का नाम प्रस्तावित किया गया था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हो सकता है।

(विपक्ष की ओर से हंसी)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—सवाई मानसिंह होस्पिटल को डाइरेक्टर मेडीकल एण्ड पब्लिक हेल्थ के आधीन क्यों नहीं रखा गया ?

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स की बात है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या इस तरह से दूसरी जगह के पी० एम० ओज़० भी रह सकते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—रहने और न रहने का सवाल नहीं है, यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स को ध्यान में रख कर किया गया है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या उदयपुर और दूसरी जगह के पी. एम. ओज़ भी डाइरेक्टर के अन्डर में रहना चाहें तो रह सकते हैं और नहीं रहना चाहें तो नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेडीकल कॉलेज का यहाँ प्रश्न है और उसका डाइरेक्टली गवर्नमेंट से सम्बन्ध रखा गया है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मेडिकल कॉलेज को आप अलग रख सकते हैं, किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या सवाई मानसिंह होस्पिटल की तरह दूसरे पी. एम. ओज़ भी डाइरेक्टर के अन्डर में नहीं रह सकते ? सवाई मानसिंह होस्पिटल डाइरेक्टर के अन्डर में है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या ड० मेनन उनके अन्डर में नहीं हैं?

श्री अवनकुमार मुकर्जी—क्या डाइरेक्टर के लिए मेडिकल और पब्लिक हेल्थ दोनों क्वालीफिकेशन्स होना जरूरी नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं।

श्री अवनकुमार मुकर्जी—मुझे अफसोस होता है कि माननीय मन्त्री अपने विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते।

श्री टीकाराम पालीवाल—आपका प्रश्न कोई क्लियर नहीं था।

श्री अवनकुमार मुकर्जी—मैंने जितने प्रश्न किये हैं उनका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया। किसी के लिए नोटिस चाहते हैं तो किसी का जवाब 'हां', 'नहीं' दिया गया।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या......

श्री अध्यक्ष—Order! please! The Hon'ble Member should not give sarcastical remarks. They should seek information and are entitled to put a motion for half an hour discussion. Sarcastical remarks are not warranted. Under the rules no sarcastical questions be asked in the House.

कु० श्री जसवन्तसिंह—What about the replies?

श्री अध्यक्ष—The replies are inadequate. They are entitled to put half an hour discussion.

कु० श्री जसवन्तसिंह—On petty questions.

श्री अध्यक्ष—Must, must. Whatever may be.

Next, Shri H. K. Vyas.

प्रश्न संख्या ६६२

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के व्यास।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६३

श्री अध्यक्ष--श्री प्रभुदयाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष-- खेतसिंह ।

प्रश्न संख्या ६६४

शेरगढ़ तहसील के कुछ गाँवों को तहसील पोकरण में मिलाना

श्री खेतसिंह--क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील शेरगढ़ के कौन से गाँव तहसील पोकरण में मिलाये जा रहे हैं ?

(ख) तहसील जोधपुर के कितने गाँव और कौन से गाँव तहसील शेरगढ़ में मिलाये जा रहे हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि नाचना की एक नई तहसील जैसलमेर में कायम की जा रही है ?

(घ) तहसील फलौदी के कितने गाँव तहसील पोकरन में मिलाये जा रहे हैं और कितने गाँव तहसील बाप के तहसील फलौदी में मिलाये जा रहे हैं ?

(ङ) क्या यह सही है कि कुछ गाँव तहसील फलौदी के तहसील शेरगढ़ में मिलाये जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से ?

(श्री मुख्य मन्त्री के प्रश्नों का उत्तर श्री टीकाराम पालीवाल अर्थ मन्त्री ने दिया)

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—यह विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६६५

सन् ५३-५४ में निजी आयुर्वेदिक औषधालयों की सरकार द्वारा सहायता

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

[क] सन् ५३-५४ में राज्य द्वारा कितने प्राइवेट आयुर्वेदिक औषधियों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

[ख] सन् ५४-५५ में इस काम के लिये कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

[ग] क्या यह सही है कि किशनगढ़ के रामकृष्ण हितैषी औषधालय को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सरकार द्वारा बन्द कर दी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—[क] ३० औषधालयों को ३७, १८० रुपया सहायता दी जाती है।

[ख] ६७,००० रुपया।

[ग] सहायता नहीं दी जाती थी, अतः बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि रामकृष्ण औषधालय को सहायता नहीं दी जाती थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या अब तक जो सहायता दी जाती थी, वह इस विभाग द्वारा रामकृष्ण औषधालय को सहायता नहीं दी जाती थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ।

श्री चाँदमल मेहता—वह कौनसा औषधालय है जिसको सहायता दी जाती थी ? क्या रामकृष्ण औषधालय को कोई सहायता नहीं दी जाती थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—उसका नाम दूसरा रखा गया होगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या किशनगढ़ के किसी औषधालय को सहायता मिलती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ, मिलती है।

श्री चाँदमल मेहता—किस औषधालय को ?

(विराम)

श्री कुम्भाराम आर्य—हितैषी औषधाय को।

श्री चाँदमल मेहता—क्या वह सहायता बन्द कर दी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—साल के अन्त तक कितनी सहायता दी गई ? पिछली सहायता कौनसे महीने में दी गई थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी !!

श्री चाँदमल मेहता—यह सहायता कौनसे महीने में दी गई ? यदि माहवारी सहायता दी जाती है तो कौनसे महीने में सहायता दी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सालाना मन्जूर होती है

श्री चाँदमल मेहता—क्या सहायता सालाना दी जाती है या माहवारी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बजट में वार्षिक अंक हैं।

श्री चाँदमल मेहता—देने की तारीख वार्षिक है या माहवारी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वार्षिक।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सन् ५३-५४ की सहायता दे दी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मिल गई होगी।

प्रश्न संख्या ६६६

हाई स्कूल कक्षा पास करने पर कम्पाउन्डरों का प्रथम श्रेणी में प्रॉमोशन

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Public Health and Medical be peased to state:—

[a] Is it a fact that old compounders who were debarred from being fixed in first grade of compounders for the reason of their being nonmatric, are now not being considered when they have passed the High School Examination ?

[b] If so, why ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(अ) जी नहीं, यह सही नहीं है। ऐसे कम्पाउन्डरों को अथवा जिन्होंने आवश्यक शर्तें पूरी कर दी हैं उनको प्रोमोट कर दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ब) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Page No.15

श्री मोहब्बतसिंह—ऐसे कम्पाउन्डरों की संख्या कितनी है जो मेट्रिक पास हैं, जो योग्यता प्रथम श्रेणी के कम्पाउन्डर्स के लिए अनिवार्य है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—१४.

प्रश्न संख्या ६६७ व ६६८

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६९

सिविल असिस्टेंट सर्जन क्लास १ के डॉक्टर शासकीय सेवा में

श्री जवानसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान राजपत्र मई १,१९५४ में प्रकाशित सिविल असिस्टेन्ट सर्जन क्लास १ की सूची के अलावा भी इस दर्जे के डॉक्टर सरकारी नौकरी पर हैं ?

(ख) अगर हाँ, तो कितने और उनके नाम इस सूची में क्यों नहीं सम्मिलित किये गए हैं ?

(ग) उपरोक्त दर्जे के डॉक्टरों की अधिकाधिक निश्चित संख्या क्या है और उस संख्या से मौजूदा डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है या कम।

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) जी हाँ।

(ख) ३५. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें राज सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त नहीं हुई और वे अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं। पहली सूची में केवल एम. बी. बी. एस. ही लिए गए है, बाकी को लिए जाने के विषय में विचार किया जा रहा है।

(ग) १९६. इस संख्या में मौजूदा डाक्टरों की संख्या २० कम है।

प्रश्न संख्या ६७०

श्री अध्यक्ष—श्रीमति यशोदा देवी।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

We can revise. Today we have got very limited number of questions.

[श्री अध्यक्ष]

Yes, Shri Sardar singh.

(अनुपस्थित)

Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

Shri Khet Singh.

प्रश्न संख्या ६६७

नाप-तोल विभाग में पुलिस के गार्ड का कार्य

श्री खेतसिंह—(क) जोधपुर रियासत के वेट्स एन्ड मेज़र्स डिपार्टमेंट की गार्ड में कुल कितने आदमी थे, उनको माहवारी क्या तनख्वाह थी और वे क्या कार्य किया करते थे ?

(ख) इन गार्ड के सिपाहियों का जोधपुर रियासत के विलीनिकरण के बाद क्या हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि उन सिपाहियों का पी. एफ. नहीं कटता था और पेन्शन के हकदार होते हुए भी उनको पेन्शन अभी तक नहीं दी गई है ?

श्री चन्दनमल वैद—सूचना मंगाई जा रही है। सूचना आने पर सदन में रख दी जायगी।

(क) जोधपुर रियासत के वैट्स एण्ड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की गार्ड में कुल ५ आदमी थे, उनकी माहवारी तनख्वाह ३६ रु०, ३४ रु०, ३४ रु० ३४ रु०, ३३ रु० क्रमशः थी। वे निगरानी का काम किया करते थे।

(ख) जोधपुर रियासत के विलीनीकरण के बाद जब तक मोहरें बनाने का काम जारी रहा तब तक रखे गये (यानि २५-७-५२ तक). जब काम बन्द हो गया, हटा दिये गये।

(ग) इन सिपाहियों का पी. एफ. नहीं कटता था। इनमें से सिवाय भगवतसिंह और किसी की २० साल की सर्विस पूरी नहीं हुई थी। सर्विस के कन्डोनेशन ऑर्डर फाइनेन्स सेक्रेटरी की चिट्ठी संख्या एफ. ३ (४) M.W/५२ ता० ७-१-५३ को आई उससे उनकी सर्विस कन्डोन की

[श्री चन्दनमल वैद]

जाकर अकाउन्टेन्ट जनरल, जयपुर को पेन्शन व ग्रेजुयेटी देने को जयपुर लिखा गया और उन्होंने अकाउन्टेन्ट जनरल जोधपुर से दरयाफ्त किया, जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अकाउन्टेन्ट जनरल को स्मरण पत्र भेजा गया है। वहाँ से आदेश आते ही पेन्शन या ग्रेचुइटी जिसके वे हकदार होंगे शीघ्रातिशीघ्र दिलाई जावेगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मामूली तौर पर सूचना मंगाने में कितना समय लगता है ?

श्री चन्दनमल वैद—करीब ८ या १० दिन लगते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इस प्रश्न के लिए १५ दिन का नोटिस नहीं मिला ?

श्री चन्दनमल वैद—१५ दिन से कम का नोटिस मिला।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, १५ दिन के समाप्त हो जाने के बाद यह प्रश्न रखे जाने चाहिये थे ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न थे नहीं इसलिए इसको पहले रख दिया गया।

प्रश्न संख्या ६६८

वालेश्वर, सेतशवाँ व फलसून्ड के पत्थर की खानों का ठेका

श्री खेतसिंह—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कारण है कि बालेश्वर, सेतशवाँ व फलसून्ड की पत्थर की खानों का ठेका अभी तक किसी को नहीं दिया गया ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि ठेके न होने की वजह से वहाँ की जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

(ग) गत वर्ष इन खानों के ठेकों से सरकार को कितनी आय हुई ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) बालेश्वर, सेतशवाँ व फलसून्ड इत्यादि (तहसील शेरगढ़) पत्थर की खानों का ठेका रु० २,८६८ में तीन साल के लिए तारीख १५-४-५४ से १४-४-५७ तक श्री बाबूलाल वल्द मूनाराम को दिया गया। इससे पहले का ठेका श्री बाँडाराम वल्द

[श्री चन्दनमल वैद]

पीरूराम को रु० २,१५१ में दो साल तीन माह के लिए ता० १-१-५२ से ३१-३-५४ तक दिया गया था जो रकम जमा नहीं कराने के कारण ता० १-३-५३ से मंसूख कर दिया गया। इसके बाद संतोषजनक बोली न आने पर ठेका ता० १४-४-५४ तक बन्द रहा। इस कारण गत वर्ष कोई आमदनी नहीं हुई।

(ख) अब ठेका दे दिया गया है।

(ग) इसका उत्तर (क) में दिया गया है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूँ, कि श्री जगतसिंह झाला ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए, जो कि नीचे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

२७ मई १९५४ से २८ मई १९५४ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विचारार्थ-विधेयक

राजस्थान खेती-बाड़ी (संघनन तथा खण्ड निरोध) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—We now come to the consideration of the Rajasthan Holdings (Consolidation and Preventicn of pragmentation) Bill, 1953. Clause 11.

सदन की बैठकों की तिथि निश्चित करने सम्बन्धी

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Speaker, Sir, yesterday you promised to throw light on the programme of the Assembly because we have make out plans.

श्री अध्यक्ष—We are not rising today.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Not today but everyone of us is busy. We have got our own programmes. We want to know some-thing about it.

Page No.19

श्री अध्यक्ष—We are here upto the eighth.

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is definite.

श्री सन्धु द्वारा गृह मन्त्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—माननीय अध्यक्ष, मैं अपने पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज मुझे मौका दिया जाय, मैं इसके लिए तीन दिन पहले लिखकर दे चुका हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह— Mr. Speaker......

श्री अध्यक्ष—Order Please! माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया था उसके बारे में मैंने माननीय सदस्य से यह कहा था कि जो एलीगेशन्स आरोप लगाये गये हैं उनके लिये आप उस दिन की प्रोसीडिंग देखकर उसके बारे में डिस्कस करलें। मुझको बतलाया गया है कि जिन बातों का उल्लेख माननीय सदस्य ने अपने प्रार्थना पत्र में किया है उनमें से केवल एक-दो बातों पर ही कुछ बातें कही गई हैं, शेष के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। मैंने उनसे यह पूछा कि आप किन-किन बातों पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, उस वक्त उनसे जो तय हुआ था वह मुझको बतलाया गया कि वे अमुक-अमुक बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं। उनका एक मामला सदन द्वारा प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया। प्रिविलेज कमेटी पहले उस मामले को एग्ज़ामिन करेगी और उसके बाद वह सदन में विचारार्थ आयगा। उस समय आपको काफी मौका है कॉन्ट्राडिक्ट करने का। ऐसा यदि कभी मौका आता है तो माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे मुझसे चेम्बर में आकर डिस्कस करें। हम चेम्बर में मिल नहीं सकते ऐसी बातों के लिए, इस प्रकार का डिफायेन्स एटीट्यूड माननीय मेम्बरों को नहीं रखना चाहिये। मैं माननीय सदस्य को अपना पर्सनल स्टेटमेन्ट देने के लिए अलाउ करता हूँ और साथ में उनसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसा कि उस दिन को प्रोसीडिंग्ज में देखा है वे उन्हीं बातों तक अपने आपको सीमित रक्खें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मेरे बरखिलाफ इस हाउस में जब कि मैं यहाँ से गैर हाजिर था, चार तरह के चार्जेज लगाये गये हैं।

पहला यह कि मैं जेल के अन्दर था और मैंने ग्लूकोज़ यूज (use) किया। क्योंकि यह चार्ज जो है उसे प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया है और उसके मुतल्लिक कहा जा सकता है कि मैं यहाँ कुछ न कहूँ, तो मैं इतना ही कह देना काफी समझता हूँ कि जिम्मेदार आदमियों को जिम्मेदारी की बातें ही शोभा दिया करती हैं। ऐसी गैर-जिम्मेदारी की बातें करना अच्छा नहीं हुआ करता। तो इसको तो मैं यहीं पर खतम कर देता हूँ और अगर इसके लिए मुझे इजाजत मिली तो मैं यह साफ बतला सकता हूँ कि जिस जगह मैं रह रहा था वहाँ ग्लूकोज तो क्या, पानी भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिला करता था और मेरे बरखिलाफ चार्ज लगाया गया इतना बड़ा कि मैं ग्लूकोज़ लेता था, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ी झूठ दुनिया के तख्ते पर और कोई नहीं होगी।

[श्री गुरूदयालसिंह संधु]

(विरोधी पक्ष की ओर से 'शेम शेम' की आवाजें)

अब मैं कुछ और बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मुतल्लिक यह भी कहा गया है कि मुझे १६ तारीख को रिहा करना था और रिहा करते समय मुझे फोर्सिबली नहीं ले जाया गया। यहाँ बहुत से साहबान बैठे हैं जो कानून के जानने वाले हैं। मुझको ६ अप्रेल को गिरफ्तार किया गया और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया। रूल्स के मुताबिक मुझे १६ तारीख को रिहा करना था पर सोलह को सन्डे था इसलिए १५ तारीख को सुबह सूर्य निकलते ही रिहा कर देना चाहिये था ऐसी कानून की मंशा है; जो भी कोई जानता है रूल्स को, उसको पता लग सकता है कि १५ तारीख को सूर्य निकलने के वक्त रिहा कर देना चाहिये था, पर ऐसा नहीं किया गया।

मुझे १४ तारीख की शाम को बीकानेर जेल से जबर्दस्ती पुलिस की हिरासत में रायसिंहनगर ले जाया गया। रायसिंहनगर मेरा स्टेशन नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरी निजामत भी नहीं है और कोई वहाँ ऐसी जेल नहीं है जहाँ मुझे भेजा जा रहा था वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है, जहाँ रूल्स के मुताबिक मुझे रक्खा जाना था। मुझे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेल में ही रक्खा जा सकता था और दूसरी जेल में नहीं और अगर एक जेल से दूसरी जेल में ट्रान्सफर भी करना होता तो इसके लिए गवर्नमेंट की इजाजत लेना जरूरी था और जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसी कोई इजाजत नहीं ली गई और मुझे जब रायसिंहनगर ले जाया गया तब सूरज चढ़ चुका था और मैं रिहा समझा जाना चाहिये था पर रिहा नहीं किया गया और हिरासत में रक्खा गया, जबर्दस्ती रोका गया और जबर्दस्ती गंगानगर ले जाया गया। गंगानगर मुझे जेल में नहीं ले जाया गया; गंगानगर मेरा घर नहीं था, जहाँ मुझे पहुँचाया गया हो। वहाँ मैं फोर्सिबली ले जाया गया। मेरा इरादा था असेम्बली के सेशन में आने का, पर उसको छुड़ाने का सरकार का इरादा होगा इसलिए ऐसा किया गया होगा। मैं उस दिन २६ दिन की भूख-हड़ताल से थका हुआ था, मैं रिटर्न जर्नी भी नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे बहुत हैरानी हुई। इसलिए मैं अर्ज कर दूँ कि मुझे वहाँ फोर्सिबली ले जाया गया। अब मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर लाना चाहता हूँ जिसके लिए, मुझे उम्मीद है, मेरे साथी मुझे माफ करेंगे। इतना कह कर मुझे जो बात कहनी थी वह कहता हूँ। मेरे बारे में यह कहा गया कि कोई डेपुटेशन मिनिस्टर महोदय के पास आया और उसका मैं भी मेम्बर था और मैंने भी यह बात मानी कि यह जो रिवाइज्ड रेट्स हैं वे ठीक हैं। मैं पहले अर्ज कर दूँ कि मैं......

श्री अध्यक्ष—आप अपने पर्सनल स्टेटमेन्ट के मुतल्लिक ही बात करियेगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैंने यह लिखकर दिया है कि मेरे खिलाफ ऐसे चार्ज हैं और उन्हीं के मुतल्लिक मैं बोल रहा हूँ। इस मामले के मुतल्लिक हमने सरकार से लिखा-पढ़ी की १९५० के दिसम्बर महीने में और उधर ऊपर बैठने वाले हमारे मन्त्री महोदय.....

(घंटी)

Page No.21

श्री अध्यक्ष—मैं बहुत साफ कर दूँ कि एजीटेशन के बारे में अगर आपको कोई बात कहनी है तो इसके लिए मैं आपको इजाजत नहीं दूँगा। आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल मामले हैं उनको हाउस दूसरी तरह से डिसकस कर सकता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं सत्याग्रह के बारे में नहीं कहूँगा। मैं केवल उस चार्जेज़ के खिलाफ कहूँगा जो मेरे खिलाफ लगाये गये हैं और जो इस हाउस में लगाये गये हैं; उस हालत में मेरी पोजीशन साफ करना मेरे लिए जरूरी है और क्योंकि उसमें सत्याग्रह का भी जिक्र आता है इसलिए मुझसे ताल्लुक रखने की हद तक उसका भी थोड़ा जिक्र करना जरूरी समझता हूँ।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर-हियर' की आवाज)

श्री अध्यक्ष--There is nothing in the proceedings.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पॉइन्ट आफ ऑर्डर, सर,......

श्री अध्यक्ष—There is no point of order. (श्री सन्धु से) Yes.

श्री गुरुदयालसिंह संधु—तो जब कि १६५० में भी एक ऐसा सत्याग्रह हुआ था गंगानगर जिले में और उसने जो मांग की थी, उधर बैठने वाले एक माननीय मन्त्री ने भी फरवरी ६, १६५१ के नवभारत टाइम्स में एक स्टेटमेंट के जरिये से यह कहा था कि यह सत्याग्रह जायज है। आप वह नवभारत टाइम्स अखबार देखिये और वह सत्याग्रह आज भी चल रहा है और इसके सिलसिले में पिछले कई महीनों से सरकार के साथ हमने लिखा-पढ़ी की। पिछले दिनों जब मैं यहां जयपुर में आया तब पालीवाल जी से भी मिला था, जब कि वे मन्त्री नहीं थे और उन्होंने मेरी इसमें मदद भी की। उन्होंने भी उस समय माना था कि आपकी डिमान्ड जायज हैं और इस सम्बन्ध में उनके कहने से एक मेमोरेन्डम भी लिखकर दिया और उन्होंने कोशिश भी की व्यासजी से मिलाने की।

(हियर-हियर)

व्यासजी ने टाइम भी दिया १६ दिसम्बर का, लेकिन एक मन्त्री महोदय नाराज हो गये और आखिर में मुझे कहा गया कि आपको मिलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती और मेरा मिलने का टाइम केन्सल कर दिया गया। हमने बार-बार नौ-दस आदमियों ने बैठकर मिलने की कोशिश की, पर सुनवाई नहीं हुई। सरकार के पास २५ तारीख को ११ आदमियों ने एक दरख्वास्त भी पेश की। इन ग्यारह आदमियों में तहसील कांग्रेस कमेटियों के प्रेसीडेन्ट्स भी थे, पदमपुर तहसील कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट थे, करणपुर, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर तहसील कांग्रेस कमेटियों के प्रेसीडेन्ट भी थे। दरख्वास्त की एक-एक नकल उनके पास है और एक-एक मेरे पास है। हमने सभी ने यह लिखा कि जो कुछ सरकार गंगानगर में कर रही है वह ठीक नहीं कर रही है; इस बारे में हमें मिलकर सब बात खुलासे वार करने का मौका दिया जावे। पर फिर भी मिलने का मौका नहीं मिला और मैंने देखा कि १६ फरवरी को एक तार मेरे पास पहुँचता है श्रीमान् पालीवालजी के सेक्रेटरी की तरफ से।

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

उसमें लिखा था कि पालीवालजी २२ फरवरी को जयपुर के अन्दर अपने ऑफिस में मुझ से मिलना चाहते हैं और १० तारीख को ऐसा और एक तार कलेक्टर की मारफत मिला। मैं वहां जयपुर में उनसे मिलने डेपुटेशन पर नहीं गया था जैसा कि इस हाउस में बताया गया है। २२ फरवरी को उनके तार से बुलाने पर मिला। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा है कुछ छोड़ने का; आप लोगों को शान्त करें। मैंने कहा सिर्फ विशेष रेट्स का ही झगड़ा नहीं है। सरकार ने गंगानगर जिले में, जब से राजस्थान सरकार बनी है एक भी सड़क नहीं बनाई। वह इलाका जो सबसे ज्यादा पैदा देने वाला है, जो सबसे ज्यादा आय सरकार को देती है उसमें सिर्फ वहीं थोड़ी बहुत ५-६ मील की सड़क बनी हुई है जो बीकानेर के महाराजा ने बनाई थी, बाकी एक इन्च भी पक्की सड़क वहां नहीं मिलती। राजस्थान में आज लगभग ६ हजार ६०० मील सड़कें बन चुकी हैं, पर इस गंगानगर के इलाके की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। आपने वहां एक कॉलेज नहीं खोला, एक हाई स्कूल तक वहां नहीं खोली गई और किसी गांव में स्कूल की इमारत नहीं बनाई आपने......

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--This is no personal statement.

श्री गुरुदयालसिंह संधु--मैं इसके मुतल्लिक अर्ज कर रहा हूँ......

श्री अध्यक्ष—We do'nt want any details of the interviews.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—ऐसी हालत में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत छोड़ने की जो बात कही उसके बारे में मैंने बता दिया कि लोग इससे इस स्थिति में सैटिस्फाइड नहीं होंगे। फिर भी आप यह बतला दीजिये कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं? २३ तारीख को ढाई बजे का टाइम मुकर्रर हुआ। २३ फरवरी को हम बैठे और विचार किया। २३ को ढाई बजे जैसा टाइम मुकर्रर था हम उनसे मिले। इसके बाद हमें दो तरह की रेट्स बतलाई गई......

श्री अध्यक्ष—I will Call the Hon'ble Member to order.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir.

श्री गुरुदयालसिंह संधु—चार्ज है मेरे खिलाफ......

श्री अध्यक्ष—चार्ज जो हैं आपके खिलाफ उनका जवाब आपने दे दिया। इन्टरव्यू की डिटेल नहीं चाहता।

The House is not very anxious. Your right is only to give personal statements against the mis-information that the Minister has given. Personal explanation means something to be explained about the person.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो मेरे मुताल्लिक ऐसा कहा गया कि मैं उस डेपुटेशन में आया और उस डेपुटेशन में आने वाले मान कर गये और स्टेज पर मैंने जाकर लोगों को बताया, ऐसा है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं वहां आया था पर किसी डेपुटेशन में नहीं आया। मुझे बुलाया गया, और उसमें जो बुलाया गया था उसमें जो बात हुई थी उसकी अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो उसको छोटा करने को तैयार हूँ।

मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारी जो बातचीत हुई थी वह इतनी हुई थी कि २३ तारीख को कुछ रेट्स बतलायें और उसको मानने से इन्कार किया और दूसरे साथी थे उनके साथ सेटल करने के लिये और तारीख मुकर्रर हुई थी, लेकिन मैं शाम को चला गया और उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वह कहते हैं कि गुरुदयालसिंह मानकर गया। यह बहुत बड़े भेद की बात है। आपस की दलबन्दी में गुरुदयालसिंह को घसीटने की कोशिश की गई। (विपक्ष की ओर से करतलध्वनि) मैं उस दलबन्दी में नहीं आ सका तो उसका नतीजा मुझसे हर जगह लिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सा डेपुटेशन था। मेरे पास तार मौजूद है। मुझे बुलाया गया था। तार भेजकर बुलाया गया था। डेपुटेशन कैसा था, उसमें जो बुलाये गये थे वह उन्हीं के चुने हुए लोग थे। अपने बुलाये हुए साथी थे और कहा गया कि लोगों को जाकर रोकें कि शोर न मचायें। तो आज कहा जाता है कि वह तो खुद आये थे।

मैं अर्ज कर रहा था कि गंगानगर के अन्दर राजस्थान बनने से पहले जहां ६ लाख भूमि पर हम ३२ लाख रुपये दे रहे थे वहां अब ८३ लाख दे रहे हैं और जो ८३ लाख रुपये अदा कर रहे हैं उसके ऊपर सेल्स टेक्स लगेगा तो ६५ लाख रुपये अदा करने पड़ेंगे। यह आंकड़े हैं। अगर आप राजस्थान......

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन कर दूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—He can't, Sir.

श्री अध्यक्ष—That is not necessary.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—He can't.......

श्री अध्यक्ष—You can't call the right of the Speaker. I can allow.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Under what rule?

श्री अध्यक्ष—Under my authority.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That is a different matter.

Page No.24

श्री अध्यक्ष--There are no allegations which the Hon'ble Member has called. The proceedings are before me and I have gone through them.

विधायी कार्य

राजस्थान खेती-बाड़ी (संघनन तथा खण्ड निरोध) विधेयक, १९५३.

श्री अध्यक्ष—We now come to clause 11. Amendment moved by Shri Bhairon Singh (श्री भैरोंसिंह से) You have moved that amendment.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)--I have moved.

श्री टीकाराम पालीवाल—After a good deal of......

श्री भैरोंसिंह--सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not audible, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने यह कहा था कि इस एमेंडमेंट की स्पिरिट को तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ but it is not properly worded. मतलब यह है कि मैं यह मानता हूँ कि ऐसा पढ़ा जाय कि एग्रीमेंट जो एक होने वाले हों, वे बाई म्युचुअल एग्रीमेंट हों जो उसको लाभप्रद मालूम होता हो। वह शर्त उसमें है कि वह म्युचुअल एग्रीमेंट कलेक्टर की प्रिवियस सेन्क्शन से हो। उसको एप्रूवल करने का राइट हो तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार के वर्डिंग्स बिल्कुल सही नहीं है। इसको दुबारा ड्राफ्ट किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—दुबारा सही कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—We may postpone the consideration of this particular clause.

श्री टीकाराम पालीवाल—And in the meantime I would redraft.

श्री अध्यक्ष—So the spirit you accept.

श्री टीकाराम पालीवाल—Yes Sir, the spirit of the amendment.

श्री अध्यक्ष—Clauses 12 and 13.

(विराम)

The question is that clauses 12 and 13 be accepted.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clauses 12 and 13 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 14, amendment by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 14. "In Clause 14— sub-clause (2) Line 2— Retain the word 'obtaining' and delete the word 'consulting'."

My second amendment is, Sir, to sub-clause [2]- Line 3. "After the word 'tenants' insert the following words:— 'and the Panchayat or Panchayats functioning'."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १४ में सिलेक्ट कमेटी द्वारा जो संशोधन किया गया है उसमें ओरीजिनल क्लॉज़ १४ की सब क्लॉज़ (२) में से कुछ शब्द हटा कर—

"On such publication in the area concerned the State Government may appoint a consolidation officer who shall, after **obtaining** in the prescribed manner the advice of the land-holders and tenants in such area......"

इसके एवज में सिलेक्ट कमेटी ने संशोधन करके ' after **consulting** in the prescribed manner......" कर दिया। सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक था और इसलिए आवश्यक था कि यदि शब्द यह रखे जाँय "after obtaining in the prescribed manner the advice of the land holders" इत्यादि, इत्यादि तो, उसमें काफी कुछ खराबी होने की गुंजाइश है और एक तरह से ज्यादा बन्धन हो जाँय कॉन्सोलिडेशन ऑफिसर पर जो शायद मुमकिन हो कि कॉन्सोलिडेशन ऑफिसर पूरा नहीं कर पाये। इस बिना पर सिलेक्ट कमेटी ने इन शब्दों में कुछ परिवर्तन किया है। मेरे एमेंडमेंट का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी तब्दीली सिलेक्ट कमेटी ने की है उन तब्दीलियों को रद्द कर दिया जाय और ओरिजिनल क्लॉज़ को जिस प्रकार का वह था उसी प्रकार से रख दिया जाय। उसका फर्क क्या होगा और क्यों वह इस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट में सबसे बड़ी दलील यह दी है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शब्द 'Obtaining' को रख दिया जाता और उसके साथ में 'the advice of' को जोड़ रखें तो उसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी रूप में सूचना देनी पड़ेगी, किसी न किसी रूप में मौका देना पड़ेगा कि उसकी क्या बात है, कॉन्सोलिडेशन ऑफिसर के सामने कहना होगा; किसी न किसी रूप में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि जिससे अगर कोई इनकार करे तो बात बढ़ती है। अगर इन्कार नहीं करे तो ऑल्टरनेटिव (alternative) में उसकी राय लेना करीब-करीब मान लिया जाय। मेरे खयाल से जमीन के पुनः बँटवारे के बारे में फैसला कर रहे हैं, बड़े टुकड़े बनाने के लिए एक टुकड़ा किसी से लेंगे तो एक टुकड़ा दूसरे से लेंगे। इस प्रकार से एक की जमीन दूसरे को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और दूसरे की जमीन तीसरे को देने की व्यवस्था बाद में जाकर होगी; तो सारे के सारे गाँव में सारे के सारे देहात की जिन्दगी के अन्दर एक प्रकार से जबरदस्त उथलपुथल लाने वाली यह स्कीम होगी और जब इतना अधिक उथल-पुथल लानेवाली यह स्कीम है, जिसमें जमीन बदलेगी, एरिया बदलेगा और लोगों के जो घर हैं उनसे नजदीक या दूर; क्या-क्या परिवर्तन होंगे उसका अन्दाज लगाना मुश्किल है। ऐसी हालत में जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा उन लोगों की सलाह प्राप्त करने के लिये कॉसोलिडेशन ऑफिसर पर ज्यादा बन्धन हो सकता है तो ठीक है। इससे यह होगा कि लोगो की सलाह लेने की पूरी कोशिश की गई है; इसमें जब 'कन्सल्टिंग' शब्द यूज़ किया है......

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—There is no such word.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On page 4 of the Bill, clause 14, sub-clause (2) the word 'obtaining' has been deleted by the Select Committee. If my Hon'ble Member does not understand, it is not my fault. The Select Committee as a matter of fact discussed this point as to why it is not necessary to delete. So I hope my hon'ble member will not insist on the wrong uuderstanding which he has of the word. Shall I continue ?

श्री अध्यक्ष—Go on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जो शब्द यहाँ आया है "Consulting" वह शब्द ऐसा है कि जिससे कोई भी तरीका आगे जाकर अख्त्यार किया जा सकता है। कंसल्ट करने का तरीका यह भी हो सकता है कि थोड़े से खातेदारों को बुलाकर सलाह ले लें, कंसल्टिंग का तरीका यह भी हो सकता है कि थोड़े-से पटेलों को बुलाकर सलाह ले लें और कंसल्टिंग का तरीका यह भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन ऑफिसर यह हुक्म निकाल दे कि मुझे सलाह लेनी है इसलिये मेरे दफ्तर में आकर सलाह दे दो। यदि कोई सलाह देने के लिये आवे तो आवे, न आवे तो न आवे: यह तरीका लोगों की सलाह दरअसल में प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है इसलिये यह मेरा पहला अमेंडमेंट है।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि यहाँ हम चाहे 'Consulting' शब्द का प्रयोग करें, चाहे 'Obtaining advice of' शब्द का प्रयोग करें, बात एक ही है। लेकिन जहाँ के रहने वाले टिनेन्ट्स हैं उनको वास्तव में कंसल्ट करते हैं या नहीं? लेकिन, दिक्कत यह है कि सही रूप में कंसल्ट नहीं किया जायगा। हमारे यहाँ करीब-करीब गाँव-गाँव में गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए लोगों की ग्राम पंचायतें हैं। कहीं अकेले बड़े गाँव की पंचायत है या ४, ५ या ६, ७ गाँवों को मिलाकर पंचायत बनाई गई है और उनमें हर गाँव के चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद हैं तो यदि कभी भी कंसल्टेशन [Consultation] का मौका आवे तो गाँव वालों की सलाह तो ले ही और उसके साथ-साथ चुने हुए पंचायतों की सलाह भी अवश्य लें, ऐसा ऑर्डर होना चाहिये कि निश्चित रूप से पंचायतों की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सलाह इस मामले में ली जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्लॉज़ १४ (२) के मातहत जो कार्यवाही की गई है वह ठीक तरीके से नहीं की गई है, ऐसा मानना होगा। तो, मैंने इस क्लॉज़ (२) में 'Tenants' के बाद में 'and panchayats' ये दो शब्द जोड़ने का संशोधन रखा है। इससे साफ हो जायगा कि जहाँ पंचायत होगी वहाँ पंचायत की तो सलाह ली ही जायगी। ये दो मेरे अमेन्डमेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरोंसिंह को अन्य स्थान पर देखकर)

The Hon'ble Member should not change his seat.

श्री भैरूँसिंह (वि० संख्या १६)--वहाँ से सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—I will make arrangements. If a Member changes his seat he deprives me to catch his eyes.

श्री भैरूँसिंह--उस जगह से आवाज ठीक सुनाई नहीं देती।

श्री भैरूँसिंह (१६)—Mr Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 14 :—

श्री जवानसिंह—On a point of information, Sir, whether the seats have been allotted to each Member ?

श्री अध्यक्ष–It is not necessary to allot seats. When a particular member occupies as particular reat daliy, I presume so. If he shifts to another seat I refuse to allow.

श्री भैरोंसिंह— In clause 14 (2) "Delete the words 'after consul-ting...... such area' occurring in second, third and fourth lines and insert the following after the word "thereof" in the last line of this clause :—

'in the following manner :—

(a) If the land owners making the application under sub-section (1) submit a scheme of consolidation of holdings mutually agreed to, the Consolidation Officer shall, in the manner prescribed, examine it and if necessary, modify it.

(b) The Consolidation Officer, subject to any rules prescribed may appoint an advisory committee consisting of the members of the Panchayat to assist him in the preparation of a scheme for the consolidation of holdings.

[श्री भैरूँसिंह]

Provided that no Khatedar or sub-tenant who is affected under the provisions of this Act would be left landless.

Provided further that with regard to the redistri-bution of land the priority shall be given to those who are in possession of un-economic holdings and the rest shall be distributed among the landless labourers."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ११ में मैंने जो संशोधन रखा था उसकी मंशा के अनुसार यह मेरा संशोधन है। क्लॉज़ १४ के अनुसार सरकार यदि किसी एरिया में कंसोलिडेशन का वर्क प्रारम्भ करना चाहे तो वह अपनी मर्जी से भी प्रारम्भ कर सकती है और साथ ही साथ उस जगह के रहने वाले व्यक्ति इस चीज को पसन्द करें तो उनकी दरख्वास्त पर भी इस प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है और यदि इस प्रकार की सरकार की इच्छा हो या वहाँ के वासिन्दगान की इच्छा हो तो कंसोलिडेशन ऑफिसर इस प्रकार की स्कीम तैयार करेगा और उस स्कीम के मातहत सारा का सारा कंसोलिडेशन वर्क चालू किया जायगा। मेरा संशोधन यह है कि यदि इस प्रकार की स्कीम किसी की दरख्वास्त पर की जाय, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की दरख्वास्त पेश करे कि फलां एरिया में कंसोलिडेशन वर्क चालू किया जाय और साथ-साथ वह एक स्कीम पेश करे कि सारा वर्क इस स्कीम के मातहत किया जाय तो उसमें दो प्रकार का लाभ होगा। इस काम के लिए एक तो एक्सपर्ट सरकारी मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ ही साथ जिन लोगों पर कंसोलिडेशन का प्रभाव होगा उन लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। यदि उन लोगों का सहयोग हो तो बहुत शीघ्रता से काम हो सकता है और यदि उन लोगों का सहयोग मिल जाय तो उसके लिए सरकार को भी प्रोविजन रखना चाहिये। मेरे संशोधन में यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि हमें सरकार के झगड़ों में नहीं पड़ना है, कलेक्टर के पास दरख्वास्त नहीं देनी है, हम आपस में रजामन्द होकर इस काम को कर लेना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की इजाजत होनी चाहिये।

तो, इससे उन लोगों को पूरी सहूलियत मिलेगी और जिस कन्सोलिडेशन की स्कीम को सरकार एप्लाई करना चाहती है, उसमें मदद मिलेगी और इस तरह कानून के साथ-साथ आत्मीय इच्छा से सरकार के पास ऐसी-ऐसी दरख्वास्तें आयेंगी कि हमारे यहाँ जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, इनको कन्सोलिडेट किया जाय। तो, मेरे इस अमेंडमेन्ट को स्वीकार करने में सरकार को सहूलियत होगी। पहला मेरा अमेंडमेन्ट यह था।

मेरा दूसरा अमेंडमेन्ट यह है कि कन्सोलिडेशन ऑफीसर को सब्जेक्ट to rules प्रेस्क्राइब्ड कन्सोलिडेशन की स्किम चालू करने के पहले उन लोगों की राय ले लेनी चाहिए जिन पर इसका असर पड़ने वाला हो, गाँव के मुखिया की, और खास तौर से पंचायतों की राय ले लेनी चाहिये। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि कन्सोलिडेशन ऑफीसर को यह अधिकार होना चाहिये कि वह कन्सोलिडेशन स्कीम चालू करने से पहले एक एडवाइज़री कमेटी मुकर्रर करे, उसमें गाँव के खास

[श्री भैरूँसिंह]

खास आदमियों और पंचायतों के आदमियों को ले लिया जाय और इस सम्बन्ध में उनकी राय ली जाय। यदि इस तरह उनकी राय लेने के बाद कन्सोलिडेशन की स्कीम तैयार हुई तो उस स्कीम को इम्प्लीमेंट (कार्यान्वित) करने में सरकार के सामने किसी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी।

यदि कोई आदमी इस तरह की स्कीम से डिस्सेटिस्फाइड हो तो सरकार के पास अपील कर सकता है ऐसा इसमें रखा है, लेकिन यदि मेरे अमेंडमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी को डिस्सेटिस्फाई होने की और अपील करने की नौबत ही नहीं आयेगी। एड्वाइज़री कमेटी के रूप में जब वे लोग कन्सोलिडेशन स्कीम के बनाने में मदद देंगे तो वे इस स्कीम के इम्प्लीमेंट करने में भी मदद देंगे। इसलिए कि कन्सोलिडेशन ऑफीसर्स को कन्सोलिडेशन स्कीम्स बनाने में सहयोग प्राप्त हो सके, स्कीम्स ठीक तरहसे इम्प्लीमेंट की जा सकें और लोग स्वेच्छा से आगे आकर ऐसी स्कीम्स को कामयाब बनाने में भाग लें; मैंने यह अमेंडमेन्ट रखा है कि कन्सोलिडेशन ऑफीसर को डिस्ट्रिक्ट एड्वाइज़री कमेटी बनाने का अधिकार होना चाहिये।

इसके दो प्रोविज़ो हैं। पहला प्रोविजो इस प्रकार है :—

"Provided that no Khatedar or sub-tenant who is affected under the provisions of this Act would be left landless."

किसी खातेदार के पास छोटा जमीन का टुकड़ा हो सकता है और कन्सोलिडेशन स्कीम में आ जाने पर सम्भव है कि उसे कम्पेन्सेशन दे दिया जाय और जमीन के टुकड़े के एवज में जमीन का टुकड़ा नहीं दिया जाय। राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट आने वाला है और जागीर रिज़म्प्शन अमेंडमेन्ट बिल भी आने वाला है, इनसे खातेदारी राइट्स मिलेंगे टेन टाइम्स ज्यादा रकम जमा कराने पर या कुछ मुवावजा देने पर। खातेदारी राइट्स एप्रूव होते ही कन्सोलिडेशन स्कीम में यदि छोटे से टुकड़े की खातेदारी के राइट्स प्राप्त थे तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस शख्स ने काफी धन लगा कर खातेदारी के हकूक प्राप्त किये हैं उसके राइट्स न मारे जाँय। दूसरी जगह इकट्ठी की हुई जमीन में से दूसरों को दी जाती हो तो वहाँ खातेदार और गैर खातेदार को प्रायोरिटी (Priority) दी जानी चाहिये।

दूसरा प्रोविजो इस प्रकार है :—

"Provided further that with regard to the redistribution of land the priority shall be given to those who are in possession of uneconomic holdings and the rest shall be distributed among the landless labourers."

माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार की भी परिस्थिति आ सकती है कि छोटे-छोटे टुकड़े मिला कर काफी जमीन इकट्ठी हो जाय, वह किसी खातेदार को या गैर खातेदार को बताई जाय, इस प्रकार का आधार नहीं है। उस जमीन पर सारा का सारा अधिकार सरकार के पास रहता है। उस जमीन का

[श्री भैरूँसिंह]

रीडिस्ट्रीब्युशन (redistribution) उनमें किया जाय जिनके पास कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स (uneconomic holdings) हों और जिनसे जमीन छुड़ा कर दूसरों को देनी हो। वह पहले वाला अगर कब्जा नहीं देता हो तो पुलिस के जरिये उसे कब्जा दिलाया जाय। इससे जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं वे सब की सब इकोनोमिक होल्डिंग्स हो जायेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी। फिर जमीन उनको दी जाय, जो मजदूर हों, खेती के काम पर मजदूरी करते हों, जिनके पास कि जमीन नहीं हो, उनको वह जमीन दी जाय।

मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरा जो यह अमेंडमेन्ट है उसको स्वीकार कर लेने से कन्सोलिडेशन स्कीम में काफी मदद मिलेगी और इससे लेण्डलेस मजदूरों की भी बेकारी की समस्या का हल होगा। इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन सदन व माननीय मन्त्री महोदय के विचारार्थ रखा है। आशा है कि इसे अवश्य स्वीकार किया जायगा।

श्री टीकाराम पालीवाल--माननीय अध्यक्ष, मुझे खेद है कि........

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है जब तक ठीक इन्तजाम नहीं हो जाय तब तक माननीय मन्त्री अपने भाषण को स्थगित रखें।

(कुछ क्षणों के लिए निस्तब्धता)

श्री टीकाराम पालीवाल--मुझे खेद है कि मैं उन दोनों संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता, जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किये हैं। जो उनकी मंशा है वह बिना उसके संशोधन स्वीकार किये ही हल हो सकती है। उनका कहना है कि एडवाइस लेना मुमकिन हो जावे, दूसरों के द्वारा कर लिया जाय, उसकी राय पूरी तरह क्यों नहीं आये। पर वे आगे जो शब्द हैं, उनको भूल जाते हैं :

"(2) On such publication in the area concerned the State Government may appoint a consolidation officer who shall, after consulting in the prescribed manner... ......"

कन्सोलिडेशन का जो तरीका होगा वह रूल्स में प्रोवाइड किया जायगा, इस तरह इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है।

इस प्रकार टिनेन्ट्स को कन्सल्ट करना, पंचायत को कन्सल्ट करना जरूरी नहीं। अगर फिर भी जरूरी समझा जाय तो रूल्स में प्रोवाइड किया जा सकता है।

जो सदस्य दांता रामगढ़ से आने वाले हैं उन्होंने जो संशोधन रखा है और उसके सम्बन्ध में और दूसरी काफी बातें उन्होंने कही हैं उनको तो सब को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ परन्तु एक

Page No.31

[श्री टीकाराम पालीवाल]

प्रोविजो एड किया जा सकता है, में जिसे उन्होंने कहा है: उसका कुछ अंश आ सकता है। उनके संशोधन का यह भाग लिया जा सकता है :

"(a) If the land-owners making the application under sub-section (1) submit a scheme of consolidation of holdings mutually agreed to, the Consolidation Officer shall, in the manner prescribed, examine it and if necessary, modify it."

इस बात को मैं एक प्रोविजो के रूप में मानने को तैयार हूँ। एक एग्ज़िस्टिंग क्लॉज़ जो है उसके नीचे इसे प्रोविजो के रूप में एड किया जा सकता है : which means the clavre will read like this :

"After sub-section (2), insert the following proviso :—

"Provided that if the land-owners making the application under sub-section (1) submit a scheme of consolidation of holdings mutually agreed to, the Consolidation Officer shall, in the manner prescribed, examine it and if necessary, modify it."

अगर यह पसन्द हो तो एड (add) किया जा सकता है।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—I agree, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—(जारी) After sub-clause 2, a proviso may be added :—

"Provided that if the land-owners making the application under sub-section (1) submit a scheme of consolidation of holdings mutually agreed to, the Consolidation Officer shall in the manner prescribed examine it and if necessary modify it.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैरूं सिंह [१६]—What about the rest, Sir ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No. I do not accept that.

श्री भैरूं सिंह [१६]—Without any sort of reasoning !

श्री टीकाराम पालीवाल—The reasoning is obvious. It will be very difficult,

श्री अध्यक्ष (श्री व्यास से)--You press your amendment ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I seek leave of the House to withdraw.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted

श्री हरिकृष्ण व्यास—I withdraw the amendment.

श्री अध्यक्ष (श्री भैरूँ सिंह से)—You accept the proviso which has been agreed to by the Minister ?

श्री भैरूँ सिंह—मुझे एमेंडमेंट पर कहना है ।

श्री अध्यक्ष—You want to speak ? What is the use of repeating when he has not said anything ?

श्री भैरूँ सिंह —Want to make the Hon'ble Minister convinced to accept this.

श्री अध्यक्ष—The right of reply is only for a reply. No further explanation should be given.

श्री भैरूँ सिंह—That is all right, Sir.

श्री अध्यक्ष—कौनसे एमेंडमेंट के लिये प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री भैरूँ सिंह—'बी' में भी है और दूसरी जगह भी है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not rule out the possibility. But I do not want to provide it in the Act.

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूँ सिंह से) विथड्रा करते हैं । (श्री भैरूँ सिंह के मना करने पर) The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost

Page No.33

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

The question is that the proviso be added to sub-clause (2) of Clause 14.

(स्वीकृत)

The proviso is accepted and as such added to the clause.

(विराम)

The question is that Clause 14 as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 14, as amended is added to the Bill.

श्री हिम्मतसिंह—The amendments by Shri Bhairon Singh is lost? Who has put in the proviso?

श्री अध्यक्ष—The House has accepted it.

श्री हिम्मतसिंह—Who has moved the proviso?

श्री अध्यक्ष—The proviso was accepted formally by the Minister-in-charge and the Member moved it.

श्री हिम्मतसिंह—Ordinarily it was for the Member-in-charge to move the proviso. That would have been in order.

श्री अध्यक्ष—No. The House has accepted it.

(विराम)

Clause 15 Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 15 :—

"Delete the present clause 15 and re-draft it as under :—

'15. Scheme for consolidation (1) The scheme prepared by the Consolidation Officer shall be on the following lines :—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) All holdings covered by the scheme shall first be valued in similar equivalents for purposes of exchange.

(b) All Khatedars and sub-tenants shall have the first priority for obtaining holding of at least equivalent value to the holding or holdings they will be required to surrender.

(c) All landless labourers shall have the second priority to obtain holdings, after land under sub-section (b) has been allotted.

(2) The scheme prepared by the Consolidation Officer shall provide for the payment of compensation to any person who is allotted a holding which is of less market value than his original holding and for recovery of compensation from any person who is allotted a holding which is of greater market value than his original holding :

Provided that the compensation assessed as due in respect of receipt of holding if increased value from the sub-tenants and the landless labourers shall be paid by the State Government.

(3) The amount of compensation shall be assessed by the Consolidation Officer, in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953'." माननीय अध्यक्ष, मैंने जो एमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह इस बिल में सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण कमी रह गई है उसको पूरी करने से ताल्लुक रखता है। खण्ड १४ के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से कन्सोलीडेशन ऑफिसर को कन्सोलीडेटिंग स्कीम बनाने का अधिकार हमने दिया है। अब इसके बाद क्लॉज १५ में वह स्कीम बनाए। स्कीम बनाने के लिये केवल एक ही आदेश उनको दिया जा रहा है और वह यह कि यदि उस स्कीम के मुताबिक किसी आदमी को उसके पुराने होल्डिंग से हटा कर नया कब्जा कराया जाता है, जो पहले होल्डिग से ज्यादा वेल्यू का है तो ऐसी हालत में कम्पेन्सेशन दिलाये जाने का प्रोविजन है और केवल इतना आदेश हम ऑफिसर को दे रहे हैं कि कम्पेन्सेशन दिलाया जावे। मेरा खयाल है कि इतना ही आदेश ना-काफी है और वह इसलिए कि यदि हमें इस ढंग से होल्डिंग कराना है कि किसी गांव के किसी गरीब आदमी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे या किसी कम जमीन वाले के मुकाबले में ज्यादा जमीन वाले को फायदा नहीं हो तो कानून में हमें किसी प्रकार की एक खास नीति मुकर्रर करनी होगी कि इस प्रकार से प्रोपोर्शनेट फोर्म में दी जावेगी। इसके अलावा पहले से स्कीम तैयार कर ली जावे और बंटवारे के बारे में नियम बना लिये जावें कि किस प्रकार से बंटवारा होगा क्योंकि यदि पहले किसी को जमीन बता दी जावेगी और वह देख लेगा कि मार्केट वेल्यु से जमीन की कीमत कम है या ज्यादा है तो उसमें गड़बड़ी या रद्दोबदल करने की गुंजाइश रहेगी और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लोग ज्यादा मार्केट वेल्यु की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जमीन को कम कराने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैंने जो एमेंडमेंट रखा है इसमें मैंने इस प्रोसीजर को बदल दिया है और वह इस प्रकार का रखा है कि आप कोई भी स्कीम बनाइये, मगर पहले से इक्विवलेन्ट स्टेन्डर्ड तय कर दीजिये और उसके अनुसार यह तय कर दीजिये कि किसको कौनसी होल्डिंग मिलेगी। इससे यह होगा कि पहले कीमत कराने से लेने वाला है या देने वाला है उसकी ज्यादा कीमत या कम कीमत करा लेने के लिये दौड़-धूप करेगा। मान लें कि आपने एक होल्डिंग की वेल्युएशन करा ली। दूसरा आदमी है उसकी कीमत ज्यादा करा लेगा और ज्यादा कीमत वाले को जमीन मिल गई। मगर वह जमीन उस कीमत की नहीं है, वह तो कम्पीटिशन (Competition) की वजह से दूसरे ने ऐसा किया, इसलिये उसको तो फौरन ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जस्ट (Just) तरीके से यह काम कराना है तो आप स्कीम बना लीजिये। बस, यही मेरे पहले एमेंडमेंट की मन्शा है।

दूसरी बात यह है कि जब पुनः बंटवारे की स्कीम बने, री ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम बने, उस समय विशेष प्रकार का प्रोविजन मुकर्रर कर टीनेन्ट, सब टीनेन्ट और उसके बाद लेन्डलेस टीनेन्ट्स के लिये मुकर्रर होना चाहिये। जब नया कानून बने तो जिस खातेदार की जमीन ली जाती है कम से कम उतनी ही कीमत की उतनी ही जमीन तो पहले उसको दी जावे।

इसी प्रकार से जो खातेदार मजदूर हों, सब टिनेन्ट हों, लेन्डलेस टिनेन्ट हों उनकी आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिए और जब उन लोगों को जमीन मिल जाय तो उसके बाद बाकी के लोगों के क्लेम पर विचार कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का बन्धन हम नहीं डालेंगे तो नतीजा यह होगा कि सारी की सारी जमीनों का एक पूल बन जायगा और अच्छी से अच्छी जमीनें, जिनसे अच्छी पैदावार हो सकती है, वे पैदावार की जमीनें और जो ट्रान्स्पोर्टेशन के लिहाज से भी नजदीक है उन पर मालदार लोग कब्जा करके बैठ जावेंगे। जहां-जहां भी होल्डिंग्स ऑफ लेन्ड्स का सवाल चला है, पंजाब को ले लीजिये, बम्बई को ले लीजिये, बम्बई ने यह रिपोर्ट दी है कि कंसोलिडेशन की स्कीम नाकामयाब रही है। बड़ी तकलीफ से जमीनें मिलती हैं और बड़े-बड़े लोग गांवों की परिस्थिति को सुधारते नहीं, बल्कि गरीब लोगों की एक प्रकार से मुश्किल हो जाती है। वे बड़े लोग उन गरीब लोगों को लूटते हैं। यदि ऐसा नहीं होने देना है, खातेदार और गैरखातेदार जो फसल करने वाले हैं उनके द्वारा यदि लूटने का जरिया नहीं बनाने देना है और कंसोलिडेशन के जरीये कंसोलिडेटेड जमीन देना है तो खातेदार और खातेदार मजदूर की आवश्यकताओं को हमको मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने यह स्पष्ट किया है और उसके साथ-साथ अमेंडमेंट के जरिये यह प्रस्ताव रखा है कि फिर से यदि स्कीम बनायें तो कानून में यह बन्दिश रहनी चाहिये कि किसी खातेदार को जितनी जमीन दी है, उससे यदि अधिक हो तो कोई बात नहीं, उतनी कम से कम देकर दूसरों के क्लेम्स को विचार में लें। इसके पश्चात् कम्पेन्सेशन का पैसा देने का सवाल आता है। जिस क्लॉज़ में यह सवाल रखा गया है उसमें मैंने संशोधन किया है माननीय अध्यक्ष, और वह यह किया है कि यदि किसी सब टिनेन्ट को अथवा खातेदार मजदूर को आज उसके पास जितनी जमीन है, उससे अधिक मिलने का मौका आ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जाता है और जब कम्पेन्सेशन देने की मंजूरी भी हो जाती है तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि उस कम्पेन्सेशन का पैसा देने के लिए उसको अपनी जमीन रहन रखना पड़े, तो इसलिए अगर देश की खेती के अन्दर नयी व्यवस्था लाना है तो उस व्यवस्था को लाने के लिए राज्य सरकार को कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और वह जिम्मेदारी यह है कि ऐसे गरीब किसान को जिसको कि नई जमीन मिली है और उसका कम्पेन्सेशन का पैसा देने का मौका आ जाय तो उस गरीब किसान को कम्पेन्सेशन का पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। यदि हम इस प्रकार का प्रोविज़न क्लॉज़ में नहीं लेंगे तो नतीजा यह हो सकता है कि जिस दिन से कंसोलिडेशन लागू होंगे उसी दिन से टूट जायगा।

(घंटी)

मुझे दो मिनिट के लिए और कहना है।

श्री अध्यक्ष—One minute. Ten minutes you have already taken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष—That is why I have given you ten minutes. Finish it early please.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि हम इस प्रकार का प्रोविजो उसमें नहीं रखेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर किसी को अगर जमीन मिल भी गई तो वह उसको मिलने के साथ ही साथ रहन भी रख देगा। इस प्रकार कंसोलिडेशन, एक कंसोलिडेशन नहीं होगा बल्कि कंसोलिडेटेड प्रोपर्टी हो जायगी। तो हमको दोनों खतरों से बचना है। इन दोनों का प्रोविजन जब यहां हो सकता है तो इस धारा के अन्दर जो स्कीम के बुनियादी उसूल हैं उनको आज से ही मान ले और लागू कर दें। विशेष जरूरी इसलिए है कि जब सदन कानून बना रहा है तो उसमें इन बुनियादी उसूलों को तय किया जाना चाहिए जो कि आगे जाकर लागू होंगे और जो राज्य सरकार की नीति खासतौर पर अमल में लायी जायगी उसको बदलने का एक ही तरीका है कि इस क्लॉज़ में यह बात रखी जाय। मैं इन शब्दों के साथ सदन की सम्मति के लिए मेरा अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन की भावना की कद्र करता हूँ। जो कुछ कहा गया है, विचार प्रकट किये गये हैं उनसे भी मैं सहमत हूँ और उनकी आवश्यकता भी अनुभव करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उन बातों के लिए पहले से ही इस एक्ट में प्रोविजन है। इस एक्ट का जो क्लॉज़ ४४ (Rule-making powers) है उसके सब क्लॉज (२) के (ड) को आप देखें, उसमें लिखा है कि :

"(d) the procedure to be followed in the preparation of the scheme under sub-section (2) of section 14;"

Page No.37

[श्री टीकाराम पालीवाल]

तो खास तौर पर इस विषय में कहा गया है कि इस स्कीम के बारे में जो रूल्स बनाये जावेंगे तो मेरा ख्याल है कि उन सब चीजों का उसमें समावेश हो जायगा। कंसोलिडेशन्स के लिए जो बातें जरूरी होंगी वे उसमें ले ली जावेंगी, Act में रखने की बात उचित नहीं मालूम पड़ती है। अतः संशोधन अनावश्यक मालूम पड़ता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय अध्यक्ष, मुझे माननीय सदस्य की बात समझ में नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि यदि कोई नीति-सम्बन्धी अमेन्डमेन्ट है तो उसका प्रोविजन रूल्स में होगा। यह बात, मेरा ख्याल है कि उस मुद्दे को टालने की नीयत से कही गई है। जब किसी नीति की बात ही किसी एक्ट में न हो तो उसके बारे में रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को अगर दे भी दिया जाय तो भी रूल्स जैसे बन पावेंगे उसका खुलासा तो कम से कम इस सदन को नहीं हो सकता। हम हाईकोर्ट के जरिये एक बात को बार-बार सुनते हैं कि लेजिस्लेशन के कार्य को, उसको जहां तक मुमकिन हो डेलीगेट नहीं करना चाहिए और जब कंसोलिडेशन के बारे में कायदे बनाये जा रहे हैं, कंसोलिडेशन के बारे में जब सारी की सारी स्कीम, नीति बनाई जा रही हो और जब उसूलों के बारे में सवाल आता है तो कहा जाता है कि ये रूल्स में फिट हो जावेंगे, तो फिर सारा का सारा एक्ट बनाने की मेहनत ही क्यों की जाती है? एक्ट की जो जान है, उसके बारे में तो कानून में कोई प्रोविजन न हो और रूल्स बनाने के लिए राज्य को अधिकार दे दिये जांय और बाकी का लीपा-पोती का एक्ट पास कर दिया जाय तो, माननीय अध्यक्ष, यह सदन के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ होगा। इस मुद्दे की चीज को अगर मन्त्री महोदय मानते हैं तो उस सम्बन्धी संशोधन इस एक्ट में उन्हें कर देना चाहिए। किस तरीके से यह होगा, किस प्रकार लिखा जायगा उन सब चीजों का समावेश रूल्स में होगा। किन्तु सवाल यह है कि क्या यह प्रायोरेटी देने के सिद्धान्त को राज्य सरकार कुबूल करती है, क्या इस प्रकार की प्रायोरिटी देना वाजिब है, यह सदन इस नीति को, इस उसूल को कबूल करता है या नहीं, इसका निर्णय अभी होना चाहिए और इसका निर्णय टालने से समस्या का हल नहीं होता है। अतएव इस अमेन्डमेंट को इस बिल की करीब-करीब लाईफ मानते हुये आप इसको स्वीकार कर लेंगे और यदि नहीं मानते हैं, तो यह सारा का सारा बिल पास करना ही जायगा। मैं इसको सदन की अनुमति के लिए पेश करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इतना कह सकता हूँ कि रूल्स हाउस के सामने रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री व्यास से) Should I put your amendment to vote.

(श्री व्यास से अनुमति प्राप्त करने पर)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that the amendment by Shri H. K. Vyas in regard to clause 15 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 15 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 15 is added to the bill.

(विराम)

Clause 16, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 16 :—

"Delete the clause 16 and re-draft it as below :—

'16. **Khatedari tenancies.** (1) The scheme prepared by the Consolidation Officer shall provide for distribution to the persons holding Khatedari rights or rights as sub-tenants, at least as much land as is equivalent to the land they will be required to surrender.

(2) When the Scheme is finally sanctioned under section 20, then notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, the Khatedar and sub-tenants shall acquire corresponding rights on the land now allotted to them and their right on the holdings previously held by them shall cease.

(3) Any scheme prepared under sections 15 and 16 shall be void if it provides for allotment of more land or land of more value to the land-holder than what was held by him prior to the framing of such a scheme."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज १५ में जिस चीज का अभी जिक्र हुआ उसके एक विशेष अंग का उल्लेख इस क्लॉज़ में है; वह यह है कि खातेदार लोगों के अधिकार क्या सुरक्षित रखे जायेंगे। मौजूदा क्लॉज़ १६ में इस प्रकार लिखा गया है :—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"(1) The scheme prepared by the consolidation officer may provide for the distribution of land held in Khatedari rights between the Khatedar tenants and the person from whom they hold (called the land-holder) in such proportions as may be agreed upon between the parties."

इसके आगे उपखण्ड (२) में लिखा है, "Then the rights would cease, etc. etc"

तो धारा १६ में हालां कि इसका हैडिंग इस प्रकार है, इसका ताल्लुक खातेदार टिनेन्ट्स से है। अगर इस धारा १६ को और गौर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि खातेदार टिनेन्ट्स के अधिकारों का इसमें जिक्र नहीं है। उसमें उल्टा यह जिक्र है कि खातेदार टिनेन्ट्स के पास जो जमीन है वह भी इधर-उधर देने का अधिकार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, यह कहकर कि अगर खातेदार और लेन्ड होल्डर आपस में रजामन्द हो जायें। मौजूदा राजस्थान की जो परिस्थिति है उस परिस्थति में कम से कम, जमीन के सिलसिले में रजामन्दी जैसी बातों से खतरा हो सकता है, ऐसा प्रोवीजन इसमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिये, विशेषकर जहां तक कि खातेदार और लेन्ड होल्डर्स का ताल्लुक हो। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। कई इलाके में देहातों के अन्दर कुछ हद तक जबर्दस्ती ज्यादतियां और मारपीट, धांस और डंडे के आधार पर दस्तखत कराये जाते हैं, तो वहां रजामन्दी का जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है और जब हम जानते हैं कि देहातों की हालत इस प्रकार को है और जब इस प्रकार के कार्य कई इलाकों में लेन्ड होल्डर्स कर रहे हैं तो फिर और मौका देना, जिसके जरिये कन्सोलिडेट होल्डिंग पर अपना प्रभुत्व रखें, यह खतरनाक बात होगी क्लॉज़ १६ के उपखण्ड (२) की कोई आवश्यकता नहीं और अगर रखते हैं तो वह एक प्रकार से खातेदारी के हकूकों को छीनने के लिए एक तरह का मार्ग खोल देना हो जायगा।

दूसरी बात यह कि अगर हम खातेदारी अधिकार की सुरक्षा करना चाहते हैं, कम से कम यह प्रोवीजन जो विशेष रूप से है कि खातेदार की जितनी जमीन ली जायगी, कम से कम उतने ही वेल्यू की जमीन उसको दी जायगी। दूसरे भाग में जो भी स्कीम बनी है वह दुबारा इस प्रकार की स्कीम है, जिससे लेन्ड होल्डर से जितनी जमीन ली गई है उसको ज्यादा वेल्यु की मिल गई है, 'that scheme will be void." है। यह एक तरह से इस स्कीम के पीछे पुलिस के सिपाही खड़े कर रहे हैं। खातेदार और गैर खातेदार के उन अधिकारों की रक्षा हो रही है। दूसरी इस बात की देखभाल से लेन्ड होल्डर नाजायज फायदा उठाने की प्रवृत्ति रखेगा। लेन्ड होल्डर की प्रवृत्ति को एक प्रकार का बंधन है। इन दोनों बन्धनों के बीच खातेदार और गैर खातेदार के अधिकार की रक्षा हो सकती है। धारा १६ के मुताबिक खातेदार के अधिकार की रक्षा करना है। इस पर अगर माननीय अध्यक्ष, आप इजाजत दें तो मैं एक बात दोहराउंगा। पंजाब में विशेषकर कुछ दिनों से कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को काम में लाया गया। इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि इन उसूलों को पूरी तरह न करने की वजह से काफी कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। कई जगह सिर भी फूटे और यहां तक कि कई गांवों का नकशा भी बदल गया। असली किसान थे वे तो रह गये और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खेत के और बड़े-बड़े लोगों ने जमीन को हथिया लिया। वही परिस्थितियां हमारे यहां भी इस कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के जरिये होने वाली है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हमें वहां के अनुभव से फायदा उठाना चाहिये। दो पुलिस के सिपाही कन्सोलिडेशन ऑफिसर की देखभाल के लिये खड़े करने होंगे और दूसरे लेन्ड होल्डर को नाजायज फायदा उठाने की प्रवृत्ति रहेगी। दोनों प्रकार के प्रोवीजन कर दिए जाँय, धारा १६ में मेरे अमेंडमेंट के अनुसार। धारा १५ के सिलसिले में जो बातें कही गई हैं वे इसके लिए लागू होती हैं कुछ हद तक। इस प्रकार की स्कीम का यह अभी अंगभूत क्लॉज़ है।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 16 :—

"In sub-clause (2) part (ii) be deleted."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १६ में कन्सोलिडेशन ऑफिसर जो कन्सोलिडेशन की स्कीम बनायेगा इसमें खातेदार टिनेन्टस के ऊपर या अन्य काश्तकार के ऊपर जो इस स्कीम में शामिल होंगे उनके राइटस किस प्रकार सेफगार्ड (safeguard) होंगे, वह इस क्लॉज़ की मन्शा है।

पार्ट (२) में दर्ज किया है "(ii) Where such rights do not exist, compensation shall be payable for the extention of Khatedari rights, if any, in the portion of the land allotted to the land-holder at the rate of fifteen times the annual rent payable in respect thereof."

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान काश्तकारी कानून इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। और साथ जागीर रिज़म्पशन एक्ट भी इस सदन के विचारार्थ सदन में रखा हुआ है।

इस पार्ट के मुतल्लिक यदि कन्सोलिडेशन की स्कीम में इस प्रकार का काश्तकार आता है जिसके पास खातेदारी राइट्स पहले से नहीं थे और उसकी जमीन की एवज में यदि कोई दूसरी जमीन दी जावे और उस जमीन पर यदि खाते दारी राइट्स लेना चाहे तो उसको उस जमीन की दस गुना आमदनी जमा करानी पड़ेगी और दस गुना आमदनी जमा कराने के बाद उसके इस प्रकार के राइट्स accrue हो सकते हैं, लेकिन जमीनें भी एक प्रकार की नहीं होतीं, वे भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं।

इसके अलावा कोई खातेदार टीनेन्ट यदि आठ-दस साल से काश्त करता आ रहा है, लेकिन कोई कानून न होने के कारण से या कानून में किसी खास तादाद के मुकर्रर नहीं होने के कारण से उसे खातेदारी राइट्स accrue नहीं किए गए। मान लीजिए यदि इस प्रकार का कोई कानून है कि यदि कोई काश्तकार दस साल से लगातार काश्त करता रहा है और कन्सोलिडेशन की स्कीम में नौ साल के बाद ही आ गया और उसे खातेदारी राइटस प्राप्त होने में एक साल बाकी है तो हम तो

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

यह मानकर चलेंगे कि उसके उस जमीन पर खातेदारी राइटस नहीं थे । इसलिए उसको दूसरी जमीन अगर दी जाती है और अगर उसको खातेदारी राइटस लेने हैं तो दस गुना आमदनी जमा करानी पड़ेगी। पर, मेरी अर्ज यह है कि जिसका नौ साल तक कब्जा रहा उस जमीन पर उसको वह ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी, केवल एक साल बाकी रह जाने के कारण । एक साल बाकी रहता है उसका खातेदारी राइटस प्राप्त करने में, इसही बीच कन्सोलिडेशन की स्कीम लागू हो जाती है तो उसका वह ९ साल का अधिकार एक साल की कमी को वजह से सारा का सारा बेकार गया। इसमें जो शर्त रक्खी गई है कि चाहे किसी प्रकार का काश्तकार हो अगर उसके पास खातेदारी राइटस नहीं है तो उसको दस गुना आमदनी जमा करनी पड़ेगी और इसके बाद ही वह खातेदारी राइटस प्राप्त कर सकता है । यदि ऐसा काश्तकार है जो दस गुना रकम जमा न करावे और कन्सोलिडेशन एक्ट में अपने खातेदारी राइटस एक कराने के लिए उसके मातहत खातेदारी राइट्स प्राप्त करना चाहे तो उसको इसकी खुली छूट होनी चाहिये । साथ-साथ जैसे जमीन छोटी है, जो जमीन कन्सोलिडेशन स्कीम के मातहत अपने कब्जे से दूर करनी पड़ी है और एवज में दूसरी जमीन प्राप्त हुई नहीं है, उसके लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा इसके अन्दर ।

पिछली जमीन पर कितने साल काश्त की है और कितने साल बाकी हैं दस सालों में, एक-दो साल बाकी रहते हैं और इनका विचार न करके उसको जमा कराना पड़े तो इसको देखते हुए यह स्पष्ट कहना पड़ेगा कि उसके साथ यह ज्यादती होगी, एक प्रकार का अन्याय होगा और उसको अगर बिलकुल जमीन नहीं दी जाती है तो टीनेन्सी एक्ट में और जागीर रिज़म्पशन एक्ट में भी इसी प्रकार की बात आवेगी । लिहाजा अगर काश्तकार को खातेदारी राइट्स इस तरह नहीं मिलता तो जिसके सेफ गार्ड के लिए टीनेन्सी एक्ट बन रहा है, जिसे खातेदारी राइटस दिलाने के लिए कानून बना रहे हैं उसमें हम रोड़े पैदा कर देते हैं । इसलिए मेरे संशोधन की मन्शा यह है कि किसी पर ज्यादती नहीं होनी चाहिये और यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए कि खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने से पहले इस प्रकार की दस साल की आमदनी जमा करावे । मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का आदेश एक प्रकार का किसान पर अन्यायकारी बोझा होगा । साथ-साथ हम जो किसान को सहयोग देने के लिए यह कानून बना रहे हैं वह सहयोग भी नहीं दे सकेंगे; क्योंकि उनके सामने दिक्कत आवेगी कि आठ-दस साल खेती की, दस साल में एक दो साल बाकी रहे और इसी बीच कन्सोलिडेशन की स्कीम आ रही है तो यदि इसको स्वीकार करता है कोई ऐसा काश्तकार तो बावजूद इसके कि वह आठ-नौ साल से काश्त कर रहा है उस जमीन पर, चूंकि १० साल पूरे होने में साल-दो साल बाकी रह गए हैं और कन्सोलिडेशन स्कीम मन्जूर करना भी उसके लिए लाजमी है, उसको १० गुना लगान देना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा इस कानून के बन जाने पर । इसलिए इस प्रकार के लोग आपके इस कानून में सहयोग भी नहीं देंगे बल्कि मुकदमेबाजी में उतरेंगे और जितनी भी उनकी बनेगी वही कोशिश उनकी होगी कि इसमें अड़ंगे लगाएं, वे अनेकानेक बाधाएं इसमें उपस्थित करेंगे और चाहेंगे कि इस प्रकार की चीज चालू न की जावे और बाधाएं पैदा करके किसी के रोड़े अटकाये जावें और इससे दूसरी तरफ उन काफी लोगों का नुकसान हो सकता

है जिनको इस कन्सोलिडेशन स्कीम से फायदा होने वाला है जिनकी जमीन की फ्रेंग्मेंटेशन्स का कन्सोलिडेशन होने वाला है उसके अन्दर भी दिक्कतें आवेंगी, महज उन लोगों के खातेदारी राइटस के लिए इस प्रकार की बंदिशें रखने से।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजें महज टीनेन्सी एक्ट पर छोड़ दी जावें। जिस वक्त वह एक्ट आवेगा उस वक्त इसे देख लेंगे। अगर ऐसा हो जावेगा तो काश्तकारों के हित में अच्छा होगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उससे ऐसा लगता है कि गलतफहमी के कारण उन्होंने ये सब बातें कही हैं। जैसा कि साफ है—

"(1) the scheme prepared by the Consolidation Officer may provide for the distribution of land held in Khatedari rights between the Khatedar tenants and the person from whom they hold (called the land-holder) in such proportion as may be agreed upon between the parties.

जो खातेदारी टीनेन्ट के पास लैण्ड है उसको डिवाइड करने की बात है between the Khatedar tenant and the land holder.

और जो कम्पेन्सेशन की बात आती है सब क्लाज (२) के पैरा (२) में वह कम्पेन्सेशन खातेदारी टीनेन्ट को देने की बात है कि the man who is called the land holder will have to pay to the tenant, if the land holder has not got any absolute proprietory rights to the land.

बेकार जाता है और इसलिए टीनेन्ट को कोई कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा और टीनेन्ट के कोई नौ-दस साल के राइट्स मारे जावेंगे। ऐसी बात क्यों रखी गई है, समझ में नहीं आती? लेकिन फिर भी क्योंकि माननीय श्री व्यास ने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें मुझे काफी वजन मालूम पड़ता है; लेकिन उस सब के लिए मैं तुरन्त अभी इस क्लॉज को सब्स्टीट्यूट कर लूं, उस क्लॉज से ऐसा नहीं लगता। उसमें और भी कुछ हेरफेर करना जरूरी हो सकता है।

इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि this clause may be postponed for consideration and......

श्री अध्यक्ष—कन्सीडरेशन तो हो चुका। आपके डिसीजन के लिए इन्तजार है।

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें कुछ अदल-बदली की जा सकती है। इसलिए you may kindly postpone it further.

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

I take it that the House wants to postpone this.

(स्वीकृत)

इस क्लॉज को स्थगित रखने की आज्ञा दी गई।

(विराम)

Clause 17, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं०१६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 17.

"In sub-clause (1) delete the words, 'Pasture or other land reserved for common purposes with any holding in the scheme 'wherever these occur and insert the word 'or' between the words 'drain' and 'tank' occurring in the fourth and eighth lines."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १७ के अनुसार यदि इस प्रकार की कन्सोलिडेशन की स्कीम में यह आवश्यक हो कि टुकड़ों को मिलाने के लिए किसी सड़क, गली या रास्ते के साथ साथ पानी की नाली या कोई छोटी नहर आदि के रास्ते को भी बदलना हो तो कन्सोलिडेशन ऑफिसर को इस बदलने के बारे में सुझाव दे सकते हैं और साथ ही साथ इन गली, नहर आदि के साथ यह रखा है कि "Pasture or other land reserved for common purposes with any holding in the scheme" जो जमीन चारागाह की है या ऐसी जमीन है जो सब आदमियों के काम में आने वाली हो उस जमीन को यदि कन्सोलिडेशन ऑफिसर चाहे कि इनको कन्सोलिडेशन स्कीम में लाकर किसी प्रकार की अदला-बदली करना हो तो वह कर सकता है। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में आज हम इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि चराई की जमीन राजस्थान में जरूरत से ज्यादा है, लेकिन बार-बार सुनने में यही आया है और प्रत्यक्ष देखने में भी यही है कि राजस्थान में चराई की जमीन बिल्कुल कम है, और यदि इस प्रकार चराई की जमीन को कन्सोलिडेशन स्कीम में लिया गया तो एक जबरदस्त अन्याय होगा और ऐसे अन्याय होने में सरकार का सहयोग मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे कानून में राजस्थान में चराई की जो भूमि है तथा गाँव में आम लोगों के काम में आने वाली जगह हैं वह जगह कतई नहीं रह सकती। यह मानते है कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त होने के कारण और लोगों को जमीन की कठिनाइयाँ होने के कारण आज सब काश्तकार लोगों की निगाहें राजस्थान के चारागाहों और राजस्थान के गाँव में पड़त जमीनों पर, जो कि आम लोगों के काम में आ सकती है, पर रहती है। ऐसे लोगों की, सब लोगों को नुकसान पहुँचाकर, किसी न किसी तरह कोशिश करके चारागाह की जमीन या अगर गाँव में जमीन पड़ी हुई है उस जमीन पर किसी न

[श्री भैरोंसिंह]

किसी तरह कब्जा कर सकें ऐसी नियत रहती है। यह मानते हैं कि चारागाह की जमीन कई दिनों तक पड़त होने के कारण बहुत अच्छी होती है। उस जमीन पर काश्त की जाय तो ८-१० साल तक बिना खाद के और किसी प्रकार की चीज के जो कि जमीन की पैदावार बढ़ाने के काम में आती है, के उपयोग के बिना उस जमीन की ज्यादा पैदावार होगी। इस प्रकार की जमीन के प्रति काफी एट्रेक्शन (आकर्षण) होगा। लोग आपस की रजामन्दी के कारण उस कन्सोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा जो कन्सोलिडेशन की स्कीम प्रस्तुत कराने की कोशिश करेंगे, वह साथ ही साथ यह भी कोशिश करेंगे कि उस चरागाह की भूमि को भी शामिल किया जावे ताकि पैदावार की जा सके और किसी एक छोटे से टुकड़े से मिलाया जाकर एक बड़ा टुकड़ा बनाया जाय। माननीय अध्यक्ष, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। यह मानकर चलते है कि कन्सोलिडेशन ऑफिसर इन चीजों का खयाल रखेगा कि इस प्रकार के टुकड़ों को नहीं मिलाया जाय। प्रश्न यह है कि राजस्थान में कई छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको मिलाकर बड़े टुकड़े में शामिल करना पड़ेगा और बड़े टुकड़े बनाने में आज आप जानते हैं कि किस प्रकार ऐसी जमीन पर अधिकार किया जाता है। चारागाहों और आम लोगों के काम में आने वाली जमीनों का एक छोटे फार्म में मिलाये जाने से नुक्सान जबर्दस्त होगा और वह यह है कि सब लोगों की नियत खराब होगी और उस नीयत के अन्दर चारागाहों और आम लोगों के काम में आने वाली जमीन नहीं रहेगी।

क्लॉज़ १८ में इसके लिए प्रोवीजन रखा है—"that any land specifically assigned for any common purposes shall cease to be so assigned and any other land shall be assigned in its place" मैं मानता हूँ कि सरकार ने इस प्रकार का प्रोवीजन रखा है कि उस जमीन की एवज में दूसरी जमीन दी जाय। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि चारागाह की जमीन या आम लोगों के काम में आने वाली जमीन है वह किसी दूसरी जमीन से, जो कि पैदावार में कम है, बदल लें। क्योंकि यह मानते हैं कि जो जमीन कई वर्षों तक पड़ी रहती है उसमें पैदावार बढ़ती है, इसलिए लोगों का खयाल यह होगा कि उस जमीन के एवज में दूसरी जमीन दे दें। जो बेकार होगी और जिस जमीन के अन्दर किसी प्रकार का घास नहीं होगा उसको लोग देंगे और उसके एवज में इस प्रकार के चारागाह की जमीन को ले लेंगे। लेकिन इस कन्सोलिडेशन स्कीम में चारागाह की जमीन शामिल नहीं रहती है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। वह जमीन अनइकोनोमिक होल्डिंग या एक फ्रेग्मेंट (fragment) हो सकती है और अनइकोनोमिक होल्डिंग के नाते कुछ कानूनी दिक्कत नहीं हो सकती है, किसी प्रकार का नुक्सान नहीं हो सकता है, लेकिन यदि किसी अन्य फ्रेग्मेंट को पूरा करने के लिए, उस पाश्चर लेन्ड को कोन्सोलिडेशन स्कीम में लाया जाता है तो सब लोगों के काम में आने वाली जगह जो है उसको न रहने का लोगों को नुक्सान उठाना पड़ता है। एक तरफ एक व्यक्ति का फायदा है तो दूसरी तरफ गाँव के हजारों आदमियों का फायदा है, गाँव के जानवरों का फायदा है। अतएव जो 'पाश्चर लेन्ड' का प्रोवीजन है उसको हटा दिया जाय और जो आम लोगों के काम के लिए अलग जगह है उसको इस क्लॉज़ से हटा दिया जाय।

Page No.45

[श्री भैरूसिंह]

पंजाब और बम्बई में भी कन्सोलिडेशन एक्ट बने हैं। उन्होंने भी इस प्रकार की बात को मान लिया है कि किसी न किसी तरह पाश्चर लेन्ड की कन्सोलिडेशन स्कीम से रक्षा की जाय। बम्बई में खास तौर से इस प्रकार की जमीन को इस स्कीम से बाहर निकालने का कानून बना है। पंजाब में इस प्रकार का कानून बना था कि पाश्चर लेन्ड को शामिल कर लिया जाय, लेकिन जो पंजाब एग्रिकलचर रिफोर्मर्स की जो रिपोर्ट निकली है उसमें साफ कर दिया है। पाश्चर लेन्ड हैं उनके लिए लोगों की नियत यह होती है कि वह किसी न किसी तरह, रिश्वत के जरिये भी या अन्य किसी जरिये से कन्सोलिडेशन ऑफिसर के ऊपर दबाव डालकर इस प्रकार की स्कीम तैयार करवा देते हैं कि उस स्कीम में पाश्चर लेन्ड को शामिल करा लें उसे टुकड़ों में मिलाकर कन्सोलिडेशन का काम बना लें। इसी डर से मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक आदमी के मुकाबले में हजारों लोगों की रक्षा करनी है, हजारों जानवरों की रक्षा करनी है, उनके लिए चारागाह का प्रबन्ध करना है; तो उसको मन्जूर कर लें और पाश्चर लेन्ड तथा दूसरी आम लोगों के काम में आने वाली जगह को इस क्लॉज़ से इस तरह से बाहर कर दें।

श्री अध्यक्ष—दूसरा एमेंडमेंट मूव कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह—"In sub-clause (4), insert the words 'subject to any modification made by the State Government' between the words 'shall' and 'be' occurring in the last line."

माननीय अध्यक्ष, इस स्कीम का जहां तक एक्सपेरीमेंट किया गया है उन रियासतों में यह माना गया है कि एक्सपर्ट मशीनरी नहीं होने के कारण से गवर्नमेंट की सब स्कीम गलत साबित हो सकती है। ऐसी गलत स्कीम आने के कारण लोगों का काफी नुकसान हुआ है। मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि स्कीम को फाइनल सेंक्शन Sanction में देने से पहले यदि गवर्नमेंट आवश्यक समझे तो उसमें किसी प्रकार का मोडिफिकेशन कर सकती है। जो कन्सोलिडेशन ऑफिसर ने स्कीम बनाई है, बहुत मुमकिन है कि वह लोगों के दबाव में आकर या अन्य कारणों से एक स्कीम पेश करता है और लोगों की उस स्कीम के खिलाफ काफी ग्रीवान्सेज, (Grievances) हैं तो उन लोगों को हक होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास अपील के रूप में, दर्खास्त के रूप में, किसी तरह से गवर्नमेंट को कन्विन्स करायें कि जो कुछ कन्सोलिडेशन ऑफिसर ने स्कीम बनाकर भेजी है उस स्कीम में गलतियाँ हैं और उन गलतियों की वजह से नुकसान होने वाला है। यदि उस स्टेज का फाइनल मान लिया जाय तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह उस स्कीम में किसी प्रकार का मोडिफिकेशन कर सके। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि गवर्नमेंट को पॉवर होना चाहिए। आज कल एक्सपेरीमेनटल स्टेज में यह है; इसमें यदि सरकार को इस प्रकार का अधिकार नहीं हुआ, कन्सोलिडेशन ऑफिसर की स्कीम को किसी स्टेज पर स्थगित करने का तो उससे बहुत नुकसान होगा। उन स्टेजों को चेक करने के लिए सरकार के पास अधिकार होना चाहिए कि उन stages में मोडिफिकेशन कर सके।

श्री अध्यक्ष— (श्री टीकाराम पालीवाल से) जवाब दीजिये साहब।

Page No.46

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, पारचर लेन्ड के बारे में जो अमेंडमेंट है उसको स्वीकार करता हूँ।

(हियर-हियर)

श्री अध्यक्ष—दूसरा। What about next ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दूसरा कौन सा ?

श्री अध्यक्ष—दूसरा यह है कि—

"In sub-clause (4) insert the words 'subject to any modification made by the State Government' between the words 'Shall' and 'be' occurring in the last line."

कुछ रिज़र्वेशन्स के पॉवर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए ताकि कन्सोलिडेशन ऑफिसर की स्कीम को एमेंड कर सके। Is necessity arises to this amendment ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह भी एक्सेप्ट करता हूँ। So, I accept both the amendments.

(हियर-हियर)

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to accept both of the amendments of Shri Bharon Singh to clause 17 ?

(स्वीकृत)

The amendments are accepted.

(विराम)

So, now the question is that Clause 17, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 17, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 18, Shri Bharon Singh.

श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)—I do not want to move this amendment.

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr Speaker, Sir, I beg to move the following amendment :

"At the end of this clause, add the proviso :—

"Provided that the Consolidation officer shall order for the assignment of adequate land for the formation of grazing land."

क्लॉज़ १७ के सिलसिले में जो कुछ बहस हुई थी उसमें इस उसूल को मान लिया गया है, पर प्रासेज़ वगैरह के बारे में डिटेल्स कुछ और रखने की आवश्यकता है।......

श्री अध्यक्ष—It is very innocent. No use wasting time.

श्री टीकाराम पालीवाल—I accept it.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is, that Clause 18, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 18, as amended, stand part of the Bill.

(विराम)

Clause 19, Shri Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 19.

"In sub-clause (1) line 4, substitute "60" for "30", and then in last line after the word 'shall' insert the words,

"either individually or collectively."

अध्यक्ष महोदय, ये दोनों अमेन्डमेन्ट्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि अपील का जो समय निर्धारित किया गया है वह ३० दिन रखा गया है। मेरा ख्याल है कि इन मामलों में कभी-कभी आपस में बैठ कर गाँव वालों को सलाह करनी पड़ती है, कभी सूचना देरी से मिले आदि ऐसी बातें हैं जिनको देखते हुए ३० दिन का समय कम होगा इसलिये इसके बजाय ६० दिन कर देना चाहिये। यह मेरा पहला अमेंडमेंट है। मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट भी इसी प्रकार व्यावहारिक है। इसमें लिखा है :

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Any person likely to be affected by the scheme shall, within thirty days......"

श्री टीकाराम पालीवाल—I accept both these amendments.

श्री भैरूँसिह (वि० सं० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 19 :—

"Add the following new sub-clause [3] after sub-clause [2] ......

श्री अध्यक्ष—You want an appellate clause to be added.

श्री भैरूँसिह (वि० सं० १६)—Yes. "Any person aggrieved by the amended scheme shall within thirty days of the date of such application may communicate in writing to the Settlement Officer [Consolidation] any objection relating to the scheme."

माननीय अध्यक्ष, यह बात जो मैंने अपने संशोधन में रखी है वह क्लॉज़ ३० में मन्जूर की गई है। लेकिन इसकी जो कंडीशन्स हैं क्लॉज़ १६ में वे ठीक नहीं हैं। क्लॉज़ २० सब क्लॉज़ (२) में लिखा है कि :—

"If no objections are received to the draft scheme published under sub-section [1] or within thirty days of its publication to the amended draft scheme published under sub-section [2], of section 19, as the case may be, the Settlement Officer shall confirm the scheme."

मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि इससे कुछ कन्फ्युज़न पैदा होता है। स्कीम पर ओब्जेक्शन प्रोवाइड करने के लिये ३० दिन का टाइम मुकर्रर किया गया है और उसके बाद लिखा है कि :—

"The Consolidation Officer shall also publish in the prescribed manner the scheme as amended by him."

इसके साथ Appeal के प्रोवीजन को भी शामिल कर लिया जाय ताकि क्लॉज़ २० को रीड्राफ्ट करके क्लेरिफाई कर दिया जाय। क्लॉज़ २० में लिखा है, अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका रेफरेन्स देना जरूरी है इसलिये इसे यहाँ कह देता हूँ; क्लॉज़ २० में सब क्लॉज़ (२) है उसको इस तरह रीड्राफ्ट करना पड़ेगा :—

"If within 30 days of its publication..."

श्री अध्यक्ष—Alternative amendment ?

श्री भैरूँसिह—Alternative amendment.

"If within 30 days of its publication no objections are received to the draft scheme published under sub-section [1], or the amended draft scheme published under sub-sectison [2] of section 19, as the case may be, the Settlement Officer [Consolidation] shall confirm the scheme."

तो, इस प्रकार की draft scheme से ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं; एक में यह आजाता है कि ड्राफ्ट स्कीम, जो उस पर किसी को ऐतराज पेश करना है तो ३० दिन के अन्दर-अन्दर पेश करे। दूसरे में, यदि कंसोलिडेशन ऑफिसर उन ऐतराजों की सुनवाई करने पर उचित समझे और संशोधन करे तो वह संशोधन गजट में पब्लिश करायेगा और फिर किसी को ओब्जेक्शन हो तो ३० दिन में कर सकता है। क्लॉज़ २० में इससे पहले यह चीज आवे तो साफ हो जायगा और क्लॉज़ १९ में अपील की चीज है वह दोनों ठीक हो जावेगी। ये दोनों अमेंडमेंट ठीक हैं और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—It is not clear to me.

श्री टीकाराम पालीवाल—The amendment is quite clear so far as it goes, but then there will be no end to it.

एक दफा अमेन्डमेन्ट किया, फिर दुबारा अमेन्डमेन्ट आये तो फिर उसको अमेन्ड किया और इस प्रकार यदि कई अमेन्डमेन्ट होंगे तो फिर अमेन्ड करना पड़ेगा और फिर उस पर ऑब्जेक्शन आया तो फिर सुधारना पड़ेगा।

In this way there will be no end to it.

श्री भैरूँसिह—यह तो मानकर चले हैं कि इस अमेन्डेड स्कीम पर ओब्जेक्शन कर सकते हैं within thirty days of the date of its publication of the amended draft.

श्री टीकाराम पालीवाल—I will make it clear. When the draft scheme is ready for publication, the Consolidation Officer shall publish the scheme in the prescribed area concerned. This is first publication. "Any person likely to be affected shall, within 60 days of the date of such publication communicate in writing to the Consolidation Officer any objections relating to the scheme." Objections are invited for the first time. Then the Consolidation Officer shall, after considering the objections, if any, received, submit the scheme with such amendments as he considers necessary, together with his remarks on the objections of the Settlement Officer."

So, he makes amendments to the draft scheme after it has been received and after considering all its objections.

श्री अध्यक्ष—Objections to the draft scheme ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Yes. Objections on the draft scheme. So after that if again objections are invited, again there will be certain amendments.

श्री अध्यक्ष—He means to say— He means clause (3) of clause 20, after any objections are received to the amended draft scheme. क्लॉज़ २० में जाकर यह कहते हैं कि यह वहां न होकर यहां होना चाहिए।

श्री टीकाराम पालीवाल—What proper purpose would be served by making this change ? It is there already.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—इससे कनफ्युज़न नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष—There is no confusion. I think you should not press it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—No confusion. What is the confusion ?

श्री भैरूँसिंह—मैं एक दफा और बता दूँ।

श्री अध्यक्ष—No confusion. The clauses are very clear. It is very clear to me. If the Hon'ble Member wants to press it, I put to vote. This is reasonable. There is a change of clause from one to the other. This is only that.

श्री भैरूँसिंह—माननीय अध्यक्ष, अपील का जो प्रोविजन है उसको इसमें शामिल कर दिया जाय तो कोई कन्फ्युजन नहीं रहेगा।

श्री श्रीदास गोयल—कोई कन्फ्युजन का सवाल नहीं है आप इसे वापिस ले लीजिये। There is no harm. The constitution remains the same.

श्री भैरूँसिंह—Any way I do not want to press it. मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लीजिये।

श्री भैरूँसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

Page No.51

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 19, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 19, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 20, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—In view of the trend of discussion I do not want to move my amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Subsequent changes will have to be made because sub-clause (2) — minor changes:

श्री अध्यक्ष—To clause 19 ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—To clause 20, in sub-clause (2), something like this :—

"If no objections are received to the draft scheme published under sub-section (1), or within thirty days."

श्री अध्यक्ष—It will be sixty days.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Within sixty days of its publication of the amended draft. This does not make any sense. It would be after 60 days of the publication of the amended draft. Then the word "its" should be deleted and "to" should be substituted by "of." Otherwise it does not carry any sense. This is my suggestion.

श्री अध्यक्ष—In view of the amendment that has been accepted it should be 60 days.

श्री टीकाराम पालीवाल—It is only a consequential change.

श्री अध्यक्ष—So, I put the Question whether the House accepts the amendment to put "sixty" in place of "thirty."

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The amendment is accepted.

(विराम)

Now, the question is that Clause 20, as amended be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 20, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 21, Shri H. K. Vyas and Shri Bhairon Singh.

(कुछ क्षणों के लिए निस्तब्धता)

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) You do not want to move ? I have called your name.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You called the names of both of us.

श्री अध्यक्ष—No. You move your amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 21 :—

"The original sub-clause (4) should be retained as sub-clause (6)".

इसमें मुझे ज्यादा कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये कि इस क्लॉज़ की ओरीजिनल सब क्लॉज (४) में सेटलमेंट ऑफीसर कन्सोलिडेशन के फैसले के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील करने का प्रोविजन था। अब जो तरमीम हुई है तो उस सेटलमेंट ऑफीसर (कन्सोलिडेशन) के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील करने का प्रोविजन नहीं है। अतएव ऐसा प्रोविजन एक्ट में रहना आवश्यक है और ओरीजिनल सब क्लॉज (४) थी वह इस प्रकार की अपील करने का अधिकार देने की थी; वह नहीं होने की वजह से, इसको सब क्लॉज़ (६) बना दिया जाय और सेटलमेंट ऑफीसर(कन्सोलिडेशन) के फैसले के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील करने का प्रोविजन रखा जावे।

मुझे इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं।

श्री अध्यक्ष--And another, you want "sixty" to be substituted for "thirty".

Page No.53

श्री हरिकृष्ण व्यास--It is consequential.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मेरा एमेंडमेंट एक ही है साहब कि '३०' की जगह '६०' करना है।

Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment of Clause 21, sub-clause (5): "Substitute the word 'sixty' for the word 'thirty' occurring in 2nd line of sub-clause (5).

(श्री भैरोंसिंह ने अपने अमेंडमेंट के समर्थन में बोलने का उपक्रम किया)

श्री अध्यक्ष--It is very clear. (श्री टीकाराम पालीवाल को संकेत करके) Do you accept this ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not think that appeal should lie in every case to the State Government. I do not think it is necessary.

श्री अध्यक्ष—Both of these ? Right of appeal ? You do not want to provide for appeal against the order ?

(विराम)

And raising the time of appeal from '30' to '60' ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—Should I put it to vote ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Yes, Sir

श्री हरिकृष्ण व्यास—Even in respect of rent-rates, the final decision is of the State Government, I do not know how appeal to the State Government could not be allowed; but any way if there is any unwillingness on the part of the Hon'ble Member I press my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I think the amendment moved by Shri Bhairon Singh is the same. It should now be accepted.

श्री भैरूँसिह—I think it is accepted.

श्री अध्यक्ष—No, It is as yet not accepted. I put it to vote. The question is that the amendment of Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

Now, I put the question. The question is that Clause 21 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 21 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 22.

(विराम)

The question is that Clause 22 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 22 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 23, Shri Bharion Singh.

श्री भैरोंसिह (दांता रामगढ़)— Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 23 :—"In sub-clause 2 substitute the word 'actual' for 'physical'."

2. "In sub-clause (3) substitute the word '3' for 'six' in line four."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २३ के मातहात जिस वक्त बिल की सेक्शन्स के अनुसार कोई स्कीम फाइनेलाइज़ कर दी गई तो इसके बाद में कन्सोलिडेशन ऑफीसर को अधिकार होगा कि इस प्रकार के टुकड़ों पर लोगों का कब्जा करायें और यदि वह लैंड होल्डर्स और टिनेन्ट्स आपस में इस

[श्री भेरोंसिंह (दांता रामगढ़)]

बात के लिये रजामन्द न हों कि जिस जमीन पर उन्हें कब्जा करना है उस पर कब्जा करें तो कन्सोलिडेशन ऑफीसर को अधिकार दिया गया है कि वह उन लोगों का उस पर फीजीकल पज़ेशन (Possession) कराये। फिजिकल पज़ेशन (Possession) का तात्पर्य जहां तक मैं समझ सका हूँ वह यह है कि सरकार की मंशा है कि उसको जबरदस्ती वहां पर बिठा दिया जाय। यदि पज़ेशन (Possession) शब्द की यही मन्शा है तो फिजिकल की बजाय एक्च्युअल (actual) रखा जाय। actual और symbolical दो प्रकार के पज़ेशन होते हैं। पुलिस के प्रोटेक्शन में एक्च्युअल Possession कराया जाय, यह उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—'Physical' will be more advisable than 'actual'.

श्री भेरोंसिंह—सी आर. पी. सी. और आइ. पी. सी. में कहीं भी फिज़िकल का प्रयोग नहीं किया गया है, एक्च्युअल का प्रयोग किया गया है। इसका सुधार कर लिया जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

"फिज़िकल" से भी वही मतलब है जो "एक्च्युअल" से है, पुलिस अधिकारी या किसी दूसरे अधिकारी के द्वारा possession करा दिया जाय। फिज़िकल और एक्च्युअल दो कानूनी टर्म्स हैं, actual कर दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—Finished ? (Shri Bhaironsingh noded his head) Your amendments are too long.

श्री भैरूसिंह (१६)—Delete sub-clause (4) and snbstitute the following in its place:—

"(4) (i) Notwithstanding anything comtained in sub-section (2) no owner shall be entitled to possession of any holding allotted to him under the scheme unless he deposits in the prescribed manner within fifteen days of the commencement of the agricultural year such compensation as is recoverable from him under the scheme.

(ii) Where an owner fails to comply with the provision of sub-section (4) (i, his right in such holding may be allotted in the prescribed manner by the Consolidation Officer to any other person who pays the value of the holding and in such case the value realised after deducting the expenses (hereinafter called the net value) shall be paid to the owner and any other person having an interest in the holding."

[श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)]

माननीय अध्यक्ष, अब स्कीम में इस प्रकार की चीज है कि किसी व्यक्ति को दूसरे की जमीन पर कब्जा दिलाया जा रहा है या कब्जा करने वाला अपनी पुरानी जमीन छोड़ कर चला आया हो क्योंकि उसको अच्छी जमीन मिलने वाली है तो इस बिल में उसके लिए एक ऐसा क्लॉज है कि उसको कम्पेन्सेशन देना होगा जिसकी जमीन पर वह कब्जा करेगा और इसीलिए बिल के सब क्लाज (३) में ऐसा प्रोवीजन रखा गया है कि वह व्यक्ति १५ दिन के अन्दर कम्पेन्सेशन की रकम जमा नहीं करावे तो वह रकम आयन्दा लेन्ड रेवेन्यू के एरियर की तरह वसूल की जावेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार लेन्ड रेवेन्यू के एरियर से वसूल करने में काफी ढिलाई होगी और काफी समय लगेगा। एक व्यक्ति जो अपनी जमीन छोड़ता है तो उसको कम्पेन्सेशन तो अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार का कानून पंजाब में भी है। प्रोविजन में तो आपने १५ दिन का रखा है। अगर वह १५ दिन में नहीं देता है तो लेन्ड रेवेन्यू से वसूल करने की बात कही है, मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि लेण्ड रेवेन्यू वसूल करने में १२ महीने और १॥ साल तक लग सकते हैं। इस अर्से में अगर अकाल पड़ गया और क्योंकि अकाल में छूट होती ही है और होगी ही तो सारे कम्पेन्सेशन में भी छूट होगी; या अकाल के कारण लेन्ड रेवेन्यू सस्पेन्ड हो गया तो और भी ज्यादा समय लगने की संभावना है। इसलिए सारा कम्पेन्सेशन वसूल नहीं होगा, उसमें भी छूट होगी। ऐसी हालत में उस जमीन पर किसी व्यक्ति का कब्जा करने और उसका फायदा वह व्यक्ति उठाए उसके पूर्व ही उस व्यक्ति से सारा कम्पेन्सेशन जमा करवा लिया जाना चाहिये। बगैर कम्पेन्सेशन दिए उस जमीन पर उस व्यक्ति का कब्जा नहीं कराया जाना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वह शख्स कहीं न कहीं से रुपया लाकर जमा करा देगा और उस व्यक्ति को जिससे कि जमीन छुड़ाई जा रही है, उसको राहत मिल जावेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति से आपने जमीन छुड़ाई है उसको जल्दी राहत नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि लोगों को जल्दी राहत मिले, मगर इस प्रकार से तो उन्हें राहत के स्थान पर आहत ही मिलेगी और हम किसी को आहत पहुँचाना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार इस प्रकार करेगी तो इससे काफी फायदा पहुँचेगा। यदि वह चाहे तो १५ दिन के बजाय और १५ दिन ज्यादा ले सकता है। मगर ऐसा रहेगा तो उसके दिमाग में हर वक्त यह डर रहेगा कि जब तक वह रुपया जमा नहीं करावेगा उसको जमीन का कब्जा नहीं मिलेगा। तो वह निश्चित रूप से १५ दिनों में कहीं से रुपया ला कर जमा करा देगा। इससे मैं समझता हूँ कि सरकार को भी काफी तवालत से बचत होगी मगर वर्तमान धारा के अनुसार वह रुपया नहीं देगा तो लेण्ड रेवेन्यू के arrears के तौर पर वसूल किया जावेगा। इसके लिए सरकार को तहसील में लिखना होगा और तहसीलदार को उसके खिलाफ सम्मन आदि निकालने पड़ेंगे और कई प्रकार की तवालतें होंगी और कन्सोलीडेशन की स्कीम में भी देरी होगी। मैंने जो बात कही है इससे कन्सोलीडेशन स्कीम भी जल्दी ही हो जावेगी और हाथोंहाथ

[श्री भैरूंसिंह (वि० स० १६)]

जमीन छोड़ने वाले को कम्पेन्सेशन मिल जावेगा और वह भी बहुत जल्दी १५, २० दिन में। इसलिए उसको भी संतोष होगा और वह जमीन भी आसानी से छोड़ देगा।

इसके अलावा यदि किसी को कब्जा कराते वक्त किसी की फसल खड़ी है तो उसके लिए कम्पेन्सेशन दिलाने के लिए क्लाज है। इस क्लाज़ में कम्पेन्सेशन दिलाने की मियाद ६ महीने की रखी गई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज फसल खड़ी है और उसका कम्पेन्सेशन आप दिलाते हैं ६ महीनों के बाद। खड़ी फसल का फायदा तो उस व्यक्ति को तुरन्त मिल रहा है जो उसका कब्जा करता है। समझ में नहीं आता कि जब वह व्यक्ति खड़ी फसल का फायदा उठाता है तो फिर तुरन्त ही कम्पेन्सेशन उससे क्यों नहीं लिया जावे। फसल कट जाने के बाद इतना लम्बा समय क्यों रखा जावे। मैं समझता हूँ कि ३ महिनों का समय काफी होगा। वह व्यक्ति खड़ी फसल के एवज़ में दूसरों से पैसा लेकर उसी समय दे सकता है या अपने पास से दे सकता है। इसीलिए मेरा दूसरा संशोधन ६ महीनों के बजाय ३ महीने करने का है। इससे सरकार को काफी राहत मिलेगी और जिस व्यक्ति से जमीन छुड़ाई है उसको भी राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी ने ध्यान से सुना होगा और वे इस पर गंभीरता से विचार करके फिर से अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी गंभीरता से इस पर विचार किया है और माननीय सदस्य के भाषण को ध्यान से सुना है। मुझे यह संशोधन अनावश्यक मालूम होता है इसलिए मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member does not want to give him time to reply-the opportunity to reply.

जवाब दे दिया गया है। (श्री भैरूंसिंह से) आप कुछ जवाब देंगे ?

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, जवाब तो देना उस वक्त ठीक होता जब माननीय मंत्री कुछ इस पर प्रकाश डालते, लेकिन माननीय मन्त्री ने अनावश्यक शब्द का प्रयोग करके मैं समझता हूँ कि सारी बातें जो उनको कहनी थीं वे उन्होंने कह दी हैं। इसलिये "अनावश्यक" शब्द के बारे में ही दो बातें कहनी पड़ेंगी।

श्री अध्यक्ष—The reasons of the Hon'ble Member go unchallenged, the reasons which the Hon'ble Member has advanced go unchallenged.

श्री भैरूंसिंह (१६)—That is why I want to press it.

[श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)]

आज सब दुनिया यह चाहती है कि जितनी भी इस प्रकार की स्कीमें हों उनका डेवलपमेंट जल्दी से हो और वे लिंगर ओन (linger on) नहीं हों और यदि उनको लिंगर ओन ही करते रहे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान होगा। हमने माननीय मन्त्रीजी से भी कई बार सुना है कि बेकार की देरी होती है। जब कोई अमेन्डमेंट हम पेश करते हैं जिसमें ७ दिन के बजाय १ महीना या दो चार महीने की बात रखते हैं तो वे इस प्रकार की दलीलें देते हैं कि अच्छी चीज़ को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिये और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुँचानी चाहिये। मैं यह कहूँगा कि यह भी उसी प्रकार की एक अच्छी बात है जिससे लोगों को राहत मिलेगी, वे आहत नहीं होंगे। यदि लोगों को राहत ही पहुँचाना है तो इसको मन्जूर करना चाहिये; जब सदन के अन्दर कोई सुन्दर चीज आती है तो उसको अवश्य मन्जूर करनी चाहिये।

किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कानून के द्वारा आदेश दिया जावे कि वह १५ दिन के अन्दर कम्पेन्सेशन जमा करा दे और अगर वह नहीं करता है तो वह जमीन दूसरे आदमी को दे दी जावे और दूसरे आदमी का कब्जा करा दिया जावे। अगर आप यह मान कर चले कि कम्पेन्सेशन ज्यादा होता है इसलिये ज्यादा समय दिया जाना चाहिये तो मैं मानता हूँ कि कोई ज्यादा कम्पेन्सेशन नहीं होगा, वह हजारों की तादाद में नहीं होगा। किसी पर १००) रु०, किसी का दो सौ रुपया होगा और ज्यादा से ज्यादा ५००) रुपये हो सकता है। यह रकम किसानों को अदा करना मुश्किल नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन छोड़ी है, उसने त्याग किया है और इसलिए त्याग करने वाले के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये। जिस व्यक्ति ने त्याग किया है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिये। अगर किसी दूसरे को नुकसान होता हो तो बरदाश्त करना चाहिये। इसलिये मैं फिर कहूँगा कि यदि वे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh to clause 23 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 23 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 23 is added to the Bill.

(विराम)

Page No.59

[श्री अध्यक्ष]

Clause 24

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

Clause 25, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker Sir; I beg to move the following amendment to clause 25 (3) : "Delete the sub-clause (3)."

यह सब क्लॉज़ इस प्रकार है :

"25 (3) Notwithstanding anything contained in section 23 the consolidation officer shall, if necessary, put any lessee or any mortgagee or other encumbrancer entitled to possession in possession of the holding or part of the holding to which his lease, mortgage or other encumbrance has been transferred under sub-section (1)."

अमेंडमेंट रखने का मेरा तात्पर्य यह है कि आगे हमने कन्सोलिडेशन की जो नयी स्कीम है उसके बारे में कुछ उसूल बनाये हैं, कुछ उसूलों के बारे में दूसरा प्रोवीजन करने का जिक्र किया है और दूसरी ओर एक मेन्डेटरी (mandatory) सब क्लॉज़ यह रहता है जिससे दोनों में कान्फ्लिक्ट पैदा होने की गुन्जाइश है। ऐसी स्थिति रही तो इस क्लॉज़ की विचित्र हालत पैदा हो जायगी। तो इस प्रकार के राइट्स के महत्व के तरीकों से लागू करने का प्रोवीजन नहीं रहना चाहिए और जो ओरिजिनल प्रिन्सिपल्स (original principles) तय किये गये हैं वहीं तक सीमित रहना चाहिए। आप इस क्लॉज़ से उसका पज़ेशन हटा देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि यह काफी ओवियस चीज़ है और इसके लिए ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, कुछ एक्ज़िस्टिंग राइट्स होते हैं जो कि तय नहीं किये जा सकते हैं और यदि इस सब क्लॉज़ को हटा दें तो इस तरह के कॉम्प्लीकेशन्स आ सकते हैं, इसलिए इसका रहना बहुत जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज़ १६ और २३ के मातहत कोन्ट्रेरी पज़ेशन (contrary possession) होता है तो कोर्ट्स क्या फैसला करेगी, I cannot understand.

Page No.60

श्री टीकाराम पालीवाल—The position is very clear.

"(3) Notwithstanding anything contained in Section 53 the consolidation officer shall, if necessary......"

The words 'if necessary' are very significant.

श्री अध्यक्ष—जरा जोर से बोलिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—If it becomes necessary, then and then alone the Consolidation Officer will act under the sub-clause. It may be necessary for the existing rights which are not taken away by this Act.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I would like this, Sir :—

"(3) Notwithstanding anything contained in Section 23 and subject to sections 15 and 16."

क्लॉज़ १६ के जो राइट्स हैं और २३ के जो निर्णय हैं वे दोनों कान्फिलक्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष—You accept this. He means to say that it should be subject to clause 15 and 16. The proviso to sub-clause (3) of clause 23 should be subject to clauses 15 and 16.

"Clause 15—Scheme to provide for compensation :"

and

"Clause 16 :—Khatedari tenancies :"

Thereby the Hon'ble member means to stress that the Khatedari rights of the tenants in consolidation will not be affected.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They should have the precedence.

Clause 23 should be subject to that.

श्री अध्यक्ष—The rights are conflicting.

श्री टीकाराम पालीवाल—As a matter of fact it should read :—

"Notwithstanding anything contained in section 23 the Consolidation Officer shall, **if necessary.**" If any application is at all necessary then it

[श्री टीकाराम पालीवाल]

should read :—"Notwithstanding anything contained in sections 15, 16 or 23........"

श्री हरिकृष्ण व्यास—That you ca'nt do now.

इस पर फिर मत ले लिए जाँय, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—An application is necessary but I do'nt, think it is necessary.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas to clause 25 be accepted.

(मतदान के पश्चात्)

श्री हरिकृष्ण व्यास—उधर से कोई बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—I heard something.

(पुनः मत-दान के पश्चात् अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 25 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 25 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 26.

(विराम)

The question is that clause 26 be accepted.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 26 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 27 Shri Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 27. First negative amendment Sir. "Delete clause 27"......

श्री अध्यक्ष—And alternative too.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That will be put later on. माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ कॉस्ट ऑफ कॉन्सोलीडेशन प्रोसिडिंग्स से ताल्लुक रखने वाला है और इसमें सब क्लॉज़ (२) के मातहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि जो खर्चा हो वह उन लोगों से वसूल किया जाय "whose holdings are affected by the scheme of consolidation."

पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के खर्चे का भार लोगों के ऊपर क्यों डाला जाय ? सेटलमेंट के बारे में अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने इस बात को कबूल किया कि सेटलमेंट का जो खर्चा जागीरदारों से वसूल करना बकाया रह गया है उसकी छूट दे दी जाय और इस प्रकार से अथवा और चाहे किन्हीं कारणों की वजह से क्यों न हो सेटलमेंट का काम है वह राज्य सरकार का काम है, ऐसा उन्होंने माना। अब कन्सोलिडेशन का काम राज्य सरकार का नहीं है, ऐसा मानने की कोई बात नहीं है। यह खर्चा भी जैसे दूसरे कार्य करने में स्टेट खर्च करती है राज्य सरकार को ही करना चाहिये। यह क्लॉज़ इतना खतरनाक है और इसमें लिखा है कि "The cost of consloidation proceedings shall be recovered from the persons whose holdings are affected by the scheme of consolidation." यह भी मुमकिन है कि एक आदमी की होल्डिंग्स को यह असर हुआ कि यह होल्डिंग्स उसके हाथ से निकल गई। असर तो उसको हुआ ही। He is certainly affected by the scheme of consolidation. His holding is affected and the fact is that he has actually lost his holding.

तो इस क्लॉज़ के मुताबिक मतलब यह हुआ कि एक तरफ जमीन गई सो तो गई ही और दूसरी तरफ खर्चा वह और राज्य सरकार को दे, इसलिए कि उसकी जमीन इस स्कीम के मातहत कहीं आगई थी। तीसरी चीज़......

श्री अध्यक्ष—He appeals to the good sense.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे कह रहे हैं कि बैठ जाओ। If... You accept, I will sit down.

श्री अध्यक्ष—They have no right to address you directly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे इशारा कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष—They are not accepting.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो, तीसरी बात इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष, और जो बहुत महत्व की है वह यह है कि पहला खर्चा देने का उसूल ही गलत है, दूसरा चाहे जिस किसी से भी खर्चा देने का प्रोविजन किया गया हो वह बहुत ही एब्सर्ड (absurd) नतीजे पर पहुँचेगा और तीसरी जो बात है वह यह है कि इस प्रकार के कन्सोलिडेशन में, एक रूप में राज्य सरकार को खर्चा मिल जायगा और वह ऐसे मिल जायगा, माननीय अध्यक्ष, कि जब कन्सोलिडेशन होगा, होल्डिंग्स होगी और पैदावार सुधरेगी और बढ़ेगी। तो यह मुमकिन है कि कोई होल्डिंग जो अभी एग्रीकल्चर इनकम टेक्स के मातहत नहीं आती है वह कल आजायगी और यह भी मुमकिन है कि आज जो होल्डिंग्स के रूप में, इनकम के रूप में जिस पर इनकम टेक्स वसूल नहीं होता है, असेस (assess) नहीं होता है उस पर वह कल हो जायगा और वह भी एक प्रकार से राज्य सरकार को इन्डाइरेक्टली गेन (अप्रत्यक्ष लाभ) होने वाला है जो कि इस खर्चे के लिए पर्याप्त समझा जाय।

तो वह भी एक प्रकार से इन्डाइरेक्ट रेवेन्यु होने वाला है। इन तीनों कारणों के आधार पर मेरा यह कहना कि यह क्लॉज़ २७ हटा दिया जाना चाहिये। दूसरे खर्चों की तरह इसे भी राजस्थान सरकार को बियर (बर्दाश्त) करना चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, इसका कारण में बतला देता हूँ कि सब सेक्शन (१) जो है वह ज्यादा महत्व का है इसको देखना चाहिये "The cost of consolidation proceedings shall be assessd in the prescribed manner." And that manner has to be prescribed under some rules to be framed.

वे रूल्स इस तरह के होंगे कि जो आशंकायें प्रगट की गई हैं उनकी कतई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस तरह से यह क्लॉज़ है उसी तरह से रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri H. K. vyas to clause 27 Amendment No. 17-List No. I, be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now come to the alternative amendment.

Page No.64

श्री हरिकृष्ण व्यास— Mr. Speaker sir, I beg to move the following amendment to clause 27. "In Sub-clause (2), Line 2--substitute, 'land holders' in place of 'persons' and substitute 'lands' in place of 'holdinigs."

मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि ऐसी कोई अन्यायपूर्ण बात नहीं होने वाली है, जो रूल्स बनाये जायेंगे उन सब में इन सब बातों का ख्याल रखा जायगा। इन सारी परिस्थितियों में कुछ थोड़ा सा फायदा होने की गुजांइश होगी इससे रूल्स बनाने में आसानी हो जायगी। अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो उनसे लिया जाय जिनके पास कि देने के लिये है। यह एक ऐसा प्रिन्सिपल है जो माना जा सकता है। सूचना के लिए मैं बता दूं कि इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट करने के बाद में जो रूल्स बनाये जायेंगे राजस्थान सरकार द्वारा, इस अमेन्डमेंट द्वारा उनको रूल्स बनाने में सहूलियत हो जायगी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय मन्त्री इस अमेन्डमेंट को स्वीकार करने के मूड में हैं, इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह(१६)—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज जिस ढंग से उन्होंने संशोधन रखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वे एक वर्ग को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। यह कोई प्रिन्सिपल नहीं है। कानून बनाते वक्त किस सिद्धान्त को आधार मानना होगा वह सिद्धान्त यह हो सकता है कि इस स्कीम से जिन लोगों को फायदा पहुँचे उसमें चाहे लेन्ड होल्डर हो या टिनेन्ट हो या सब टिनेन्ट हो, चाहे कोई भी हो; जिस आदमी पर इस स्कीम का प्रभाव हो या इस स्कीम द्वारा जिस किसी को भी फायदा पहुँचे उसे इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाय, खर्चे का जिम्मेदार ठहराया जाय। अगर आप सरकार पर यह दबाव डालते कि इस प्रकार का खर्चा बर्दाश्त करे तो मैं ऐसे अमेंडमेंट का समर्थन करता लेकिन जो आदमी लेन्ड होल्डर्स हैं तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना न्यायसंगत नहीं होगा। लेन्ड होल्डर्स को आप खत्म कर रहे हैं और अब आप चाहते है कि उनके पास किसी तरह की चीज न रह सके जिससे वे अपना सिर संभाल सकें। लेन्ड होल्डर्स के मतलब से यह आता है। न्याय की दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से और सिद्धान्त की दृष्टि से जो हमारे सिद्धान्त हैं उस पर डटकर उन सबसे खर्चा वसूल करें जिन पर कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की स्कीम का असर हुआ है। इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार नहीं करें।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बल मिला है। मेरे माननीय मित्र जो विरोधी दल में बैठे हुए हैं उन्होंने सही स्थिति को समझा। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उसको मानने में असमर्थ हूँ। मुझे इसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे कोई अफसोस नहीं कि इस तरीके से माननीय मन्त्री को बल मिल रहा है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि जो कुछ भी आप निर्णय ले रहे हैं वे निर्णय न्याय की दृष्टि से लिए जाएं। लेकिन इस बात पर जो निर्णय ले रहे हैं वह हमारे

Page No.65

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इधर बैठने वाले माननीय मित्र द्वारा बल मिल रहा है इसलिए वे इस फोर्स के कारण इस संशोधन को नहीं मान रहे हैं। हकीकत क्या है......

श्री अध्यक्ष—Come to the relevant point. No allegations and counter allegations.

श्री टीकाराम पालीवाल—I say, this is an infantile way of arguing things.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो मैंने भूमिका के रूप में कहा है।

मेरे माननीय मित्र जो दांता रामगढ़ से आये हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा बताने का प्रयत्न किया है कि मेरे अमेन्डमेंट का उद्देश्य किसी विशेष तबके को फायदा दिलाने का है, यह कोई न्याय नहीं है। मेरा यह कहना है कि अगर इसमें न्याय नहीं है तो आप मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार न करें। आज समाज के अन्दर देहातों की विशेष अर्थ-नीति रही है, उस अर्थ-नीति को किस आधार पर बनाया गया ? उस अर्थ-नीति में कुछ लोगों को विशेष अधिकार थे। अब इतने वर्षों के बाद जब मौका आता है तो हमें एक न्यायपूर्ण दृष्टि से निर्णय लेना चाहिये। न्याय का साफ यह अर्थ होना चाहिये कि आज की अर्थनीति के आधार पर जो अधिकार मिलने वाले हैं उन अधिकारों का संरक्षण नहीं चाहिए। इतने जो अधिकार मिले हैं they must go to the debit of the person and not because of any moral right or any other right but for the fact that he is in possession of that right.

श्री टीकाराम पालीवाल—We cannot be vindictive.

श्री अध्यक्ष—It is not necessary that he should be interrupted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) दूसरी चीज इस सिलसिले में जो बहुत महत्व की है वह यह है कि एक सोसाइटी स्टेन्डर्ड (society standard) होना चाहिए। इनकमटैक्स आप उन व्यक्तियों से लेते हैं जिनकी आमदनी ४,६०० रुपये से ज्यादा हो, आगे रेटस ऑफ टेक्सेज़ बढ़ेंगे ही, सुपर टैक्स भी लगता है, एक्सेस प्रोफिट टेक्स लगेगा। यह अन्याय है कि सब को बराबर ट्रीट करें। अगर इस तरह से सबको बराबर ट्रीट करेंगे तो गलती करेंगे। बराबर ट्रीट करने का मतलब यह होगा कि कम्पेन्सेशन जितना हो उसके मुताबिक असेसमेन्ट की रेटस लगातार बढ़े। हमने यहाँ राजस्थान में एग्रिकल्चर इनकमटेक्स बिल जो पास किया उसके अन्दर हमने एक स्टेन्डर्ड बनाया है, स्टेन्डर्ड रेटस की कुछ सीमा बाँधी है, जहाँ बढ़ाने की बात थी वहाँ बढ़ाया भी है। इसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि इसमें किसी वर्ग के हित की बात नहीं, यह तो सामाजिक दृष्टिकोण की बात है। एक छोटा सा मजदूर है, हम उससे हरजाना अलग लेते हैं, ६ से २५ बीघा जमीन का हरजाना लेते

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं; यदि यही हालत है तो उसको जमीन न देने के बराबर बात हुई। हम किसको जमीन देते हैं, जिनके पास पैसा है वह जमीन ले चाहे वह कर्जा लेकर ले या मोर्टगेज करके दे जैसा क्लॉज ३ में अधिकार है।

इस तरह की अगर परिस्थिति होगी तो न्याय कहाँ का होगा ? खेतों में काम करने वाले और मेहनत करने वाले वंचित रहेंगे अपने अधिकारों से और फायदा उठावेंगे और। खेतो में काम करने वाले और और कब्जा मिलेगा और को, मेहनत करेंगे और, और फायदा उठावेंगे उसका और; यह सामाजिक न्याय नहीं है। यह तो वास्तव में गलती है, अन्याय है। इसलिए मुझे निहायत अफसोस है कि जो ऊपर बैठने वाले मानते आये एक जमाने में जब कि वे इधर नीचे की तरफ बैठते थे और जिसके लिए आजतक शोर-गुल मचाते आये, वही आज उधर ऊपर की तरफ बैठकर भूल गए और आज जो उनकी पहली जगहों पर हैं उनकी बात वे नहीं मान रहे हैं यह एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो भी मैं कहूँगा कि ये हमारे सरकारी मन्त्री इस ओर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ में सदन के मत के लिए इसको प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—The Question is that the amendment to clause 27 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amndment is lost.

(विराम)

Now the question is that clause 27 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 27 is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 28 to 36.

(विराम)

Now the question is that clauses 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, and 36 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 28 to 36 are added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Clause 37, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह—Mr. Speaker, Sir,........

श्री अध्यक्ष—The Government is not here but authorising somebody on behalf of the Board of Revenue. Government is not a body personified.

श्री भैरोंसिंह—In place of the words 'State Government' the words 'Board of Revenue' be inserted.

माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को तो वैसे ही बहुत काफी अधिकार हैं कि कन्सोलिडेशन की स्कीम भी वह तैयार करेगी और उसके आगे चलकर क्लॉज़ १६ में मोडिफिकेशन भी कर सकती है, पर अगर किसी के ग्रीवान्सेज़ ज्यादा हैं तो वह रेवेन्यू बोर्ड को रेफर करे। रेवेन्यू की आखिरी अॉथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड है। कम्पेन्सेशन के बारे में, ट्रान्सफर आफ राइट्स (transfer of rights) के बारे में और ऐसी सब चीजों के बारे में आखिरी फैसला करने का उसको अधिकार है। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार होना चाहिये और यही मेरा संशोधन है। स्टेट गवर्नमेंट के बजाय रेवेन्यू बोर्ड कर दिया जावे तो अच्छा है। गवर्नमेंट के पास तो पहले भी अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष—So, I put the question to vote.

The question is that the amendment moved by Shri Bhaironsingh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 37 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 37 is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 38 and 39.

(विराम)

The question is that clauses 38 and 39 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 38 and 39 are added to the Bill.

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

(विराम)

Clause 40.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 40: "Delete clause 40."

Clause 38 :—"The Consolidation Officer and any person acting under his orders may, in the discharge of any duty under this Act, enter upon and survey land and erect survey marks thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other acts necessary for the proper performance of that duty." क्लॉज़ ३८ से इस क्लॉज़ में अलग-अलग अफसरों को जो अधिकार होंगे उनको नियत किया जा रहा है और क्लॉज़ ३९ में यह अधिकार दिया गया है कन्सोलिडेशन अफसर को कि यदि किसी मनुष्य ने जान-बूझकर सर्वे मार्क (survey mark) को तोड़ा है या गड़बड़ की है तो उस पर उसे दंड दिया जा सकता है और दण्ड देने का अधिकार कन्सोलिडेशन अधिकारी को दिया है।

अब इसके बाद क्लॉज़ ४० आता है, माननीय चैयरमैन, और क्लॉज़ ४० यह कहता है कि "Every village officer shall be legally bound to furnish the consolidation officer with infrormation respecting the destruction or removal of or any injury done to, any survey mark lawfully erected in that area."

मुझे इस क्लॉज़ के सिलसिले में यह अर्ज करना है कि यह गलत बात है कि जो आदमी जिस हद तक राजस्थान सरकार के मातहत आता है उसे राजस्थान सरकार कुछ हद तक अपने आदेश दे देगी लेकिन एक कानूनी बन्दिश इस प्रकार की लगाने का जो कानून में लिख दी जाय तो इसकी मुझे कोई आवश्यकता नजर नहीं आती।

इसका नतीजा क्या होगा ? इसका नतीजा यह होगा कि एक और पेनल्टी की गुंजाइश और पैदा हो जावेगी। तो आगे चलकर बेकार उलझनें पैदा करेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। इसलिए, इस क्लॉज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कन्सोलिडेशन अधिकारी की ओर से काम करना है तो राज्य को अधिकार है।

इसलिए क्लॉज़ ४० डिलीट कर दिया जावे, यही मेरे इस संशोधन की मंशा है। सदन के मानने के लिए और माननीय मन्त्री महोदय के मानने के लिए मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य को ऐतराज क्या है ? यह तो एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट के कर्त्तव्य की बात है। यह मुझे ठीक ही मालूम होता है और जैसा है वैसा ही रहना चाहिये। मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री सभापति—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) Do you want to press ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do'nt want to speak about it, Sir.

श्री सभापति—Would you like to withdraw this amendment ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— No, Sir.

श्री सभापति—क्लॉज ४० पर श्री एच० के० व्यास का अमेंडमेंट मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्या यह सदन को स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम).

क्लॉज ४० पास करने के बाबत मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

क्लॉज नं० ४० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४१, (श्री एच० के० व्यास से) इस पर आपका अमेंडमेंट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 41. "In sub-clause (2)—Line 2 delete the words 'if the summons so allows'."

क्लॉज ४१ सम्मन के बारे में है। सब क्लॉज (१) के मातहत कन्सोलिडेशन अधिकारी को या सेटलमेंट अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि उसके सामने जो कार्यवाही हो रही है उसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सिलसिले में वह यदि किसी को बुलाना चाहे, समन करना चाहे अपने सामने तो ऐसा कर सकता है।

अब इस प्रकार का समन जाने के बाद क्या हो, यह सब क्लॉज (२) में प्रोवीजन है और इसमें आप देखेंगे कि यह है कि :

"A person so summoned shall be bound to appeer at the time and place mentioned in the summons in person or if the summons so allows, by his authorised agent."

तो यह एक तरह का डुप्लीकेशन ऑफ चैक्स (दोहरा नियन्त्रण) है। एक बन्धन यह है कि वह स्वयं आवे और अगर वह नहीं आ सके तो "he shall have to appear either in person or by his authorised agent."

लेकिन फिर लास्ट में पुछल्ला और जोड़ दिया कि "If the summons so allows."

हर सम्मन को इश्यू करते समय कैसे ऑडिनरी और डिफरेन्ट समन्स इश्यू करने पड़ेंगे। ऑडिनरी समन्स वे होंगे जिनमें यह कह देंगे कि या तो आप आ जाओ या अपने एजेन्ट को भेज दो या डिफरेन्ट समन ऐसे होंगे जिनमें ऑथोराइज्ड एजेन्ट को काट कर लिखना पड़ेगा।

क्या मतलब है आपका इस क्लॉज से ? इस क्लॉज की जरूरत कैसे पड़ गई सरकार को ? सरकार के पास दो प्रकार के सम्मन होंगे कि आप अगर न भी आवो तो ऑथोराइज्ड एजेन्ट को भेज दो।

सिविल प्रोसीजर कोड के मातहत जितने भी सम्मन्स के प्रोवीजन हैं, पर रूल में ऐसा ही प्रोवीजन पाया जाता है कि सम्मन भेजा जाता है कि या तो आप आओ या present yourself through some authorised agent.

अब इन दोनों का वहाँ पर दर्ज होने के बाद में यह होगा कि जो अहलकार समन तैयार करने वाला है उसकी गलती का खमियाजा किसी न किसी आदमी को भुगतना पड़ेगा। वह अहलकार लिखने में भूल गया वह विशेष लाइन, तो निश्चित् तौर पर आना पड़ेगा, चाहे आवश्यक हो या नहीं। "If the summons so allows."

श्री टीकाराम पालीवाल—I accept it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं जानता था।

श्री सभापति—क्लॉज नं० ४१ पर जो श्री एच. के. व्यास का अमेंडमेन्ट

Page No.71

[श्री सभापति]

है जो इसको एक्सेप्ट करने के पक्ष में हो वह 'हां' कहेंगे, और जो इसके पक्ष में नहीं हों वे 'ना' कहेंगे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ नम्बर ४१ पर मत लिया जाता है। जैसा की वह अमेंड हुई है उसके पास करने के पक्ष में जो हों वे 'हाँ' कहेंगे और जो विपक्ष में हो वे 'ना' कहेंगे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४१ विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४२, ४३, ४४, ४५.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो कुछ पहले एक अमेंडमेन्ट के सिलसिले में मेरे मोशन में कहा था कि उसका रूल्स के अन्दर प्रोविजन किया जा रहा है तो उस सब्सीक्वेन्ट एमेंडमेंट को रूल्स के अन्दर प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करें। इसलिए क्लॉज़ ४४ पर मुझे कुछ मौका दिया जाय।

एक माननीय सदस्य—क्लॉज़ ४३ तक एक साथ वोट ले लीजिए।

श्री सभापति—क्लॉजेज़ ४२ और ४३ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, अतएव इनके पास करने के पक्ष में जो हों वे 'हां' कहेंगे और जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहेंगे।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४२ और ४३ पास किये गये और वे इस बिल के पार्ट बन गए।

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज ४४.

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय चेयरमेन, क्लॉज ४४ का जो सब क्लॉज (२) का पार्ट 'डी' है वह ताल्लुक रखता है प्रिपेरेशन ऑफ दी स्कीम अन्डर क्लॉज १४ से तो अभी वह इस प्रकार का है :—

' the State Government shall have power to make rules for the procedure to be followed in the prepararion of the scheme under sub-section (2) of section 14."

मेरा इसमें एमेंडमेंड यह होगा जो इसके बाद में और जोड़ दिया जाय :—

"with a view to enforcing priority of claim of sub-tenants and landless labourers in respect of receiving land for redistribution."

श्री टीकाराम पालीवाल—I aceept the spirit of the amendment suggested but would like to put it in differnt wordings; it should read like this :---

"the procedure to be followed in the preparation of the scheme under sub-section (2) of Section 14 with particular reference to the allotment of lands to tenants, sub-tenants and landless tenants."

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह with particular reference to priority से है। The main point is priority.

श्री टीकाराम पालीवाल—It is covered.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You said that we would provide in the rules. So priority is the key word.

श्री टीकाराम पालीवाल—It will come in the rules. Here we are only discussing the rule making powers. Priority is assigned under the rules. We are only discussing the power to make rules. You see the difference. Priority will be given under the rules. Here we are discussing the power to make rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—We are referring to the powers to make rules for purposes of giving priority.

श्री टीकाराम पालीवाल—For purposes of allotting lands and in what priority that will be decided in the rules ? I can't commit myself with the priorities just now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—An assurance was given that this matter will be provided in the rules. Now, what is the difficulty ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It will be provided in the rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the amendment that you accept ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The procedure to be followed will be prescribed in the rules, that may be made under this particular section. So these rules can be made pertaining to "**the procedure to be followed in the preparation of the scheme under sub-section (2) of section 14 with particular reference to the allotment of land to tenants, sub-tenants and landless tenants,**" The amendment that you have suggested does not exhaust the scope of the rules to be made under this Section,

श्री हरिकृष्ण व्यास—"प्रायोरिटी" शब्द को और मानलें तो मुझे इसे स्वीकार करने में ऐतराज नहीं है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—That would come under the rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—With particular reference to the priority in the allotment of land : that can be accepted.

श्री टीकाराम पालीवाल—It is not necessary.

श्री सभापति—You accept the amendment ?

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल—The amendment as I put.

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—प्रश्न यह है कि अमेंडेड अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

अमेंडेड अमेन्डमेन्ट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Clause 44 (2) (b) as amended by the Minister-in-charge of the Bill. सदन के सामने स्वीकृति के लिये प्रस्तुत है। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें और जो विरुद्ध में हों वे 'ना' कहें।

(स्वीकृत)

Clauses 44, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 45

(विराम)

क्लॉज़ ४५. इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है, इसलिये जो इसको पास करने के पक्ष में हैं वे हाँ कहें और जो विरुद्ध में हों वे 'ना' कहें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४५ पास किया जाता है और बिल का पार्ट समझा जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—We have reserved two clauses. Apparently further consideration cannot be taken today. That has to be postponed.

एक माननीय सदस्य—बिल पास करने में अड़चन आयगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बाद में पास होगा अभी तो कंसीडरेशन के लिये कुछ क्लॉजेज़ बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह—एक, क्लॉज़ नं० १ बाकी है उसे अभी ले लिया जाय।

राजस्थान कृषि भूमि उपयोग विधेयक, १९५३ (विचार विमर्श)

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Chairman, Sir, I beg to move that the Bill to provide for the utilisation of uncultivated agricultural lands in the State of

[श्री टीकाराम पालीवाल]

Rajasthan and for regulating the cultivation of specified crops therein, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या भूदानवाला बिल बाद में लिया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I have only moved it.

श्री भैरूँसिंह—अभी तो कंसोलिडेशन ओफ होल्डिंग बिल में भी १ क्लॉज़ बाकी है।

श्री नाथूराम मिर्धा—उसमें और भी क्लोज़ेज़ बाकी रह गई हैं।

श्री सभापति—यह बाद में लिया जायगा।

(विराम)

क्या हाउस की यह मन्शा है कि बिल to provide for the utilisation of uncultivated agricultural lands in the State of Rajasthan and for regulating the cultivation of specified crops therein, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

Now, we come to the consideration of the Bill clause by clause,

(कोई भी बोलने को खड़े नहीं होने पर)

श्री टीकाराम पालीवाल—I thought the Members wanted to have general discussion.

श्री सभापति—(श्री व्यास से) आपका संशोधन.....

(कुछ क्षण के लिये निस्तब्धता)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौनसे बिल में मेरा अमेंडमेंट है ?

श्री सभापति—एग्रीकल्चरल युटिलाइजेशन बिल।

[श्री भैरोंसिंह]

(सदन की कार्यवाही स्थगित करने सम्बन्धी अनौपचारिक वार्ता के पश्चात्)

क्योंकि आज हाउस के सामने समय भी कम रह गया है और कोई खास कार्य भी नहीं है और नया बिल शुरू करना है और सब की राय यही है कि आयन्दा इस बिल को लिया जावे तो इसलिये मैं हाउस को अभी एडजोर्न करता हूँ और सोमवार को ५ बजे शाम को फिर मीट होंगे।

(सदन की कार्यवाही १० बज कर ५२ मिनिट पर दिनांक ३१ मई, १९५४ के ५ बजे सायं तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—२८ मई, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।